

भारत सरकार भारत मौसम विज्ञान विभाग



भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003



भारत सरकार भारत मौसम विज्ञान विभाग

अंक: तृतीय

वर्षः 2018

राजभाषा नीति - सिंहावलोकन

भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

आवरण पृष्ठः राजभाषा वटवृक्ष

राजभाषा नीति-सिंहावलोकन

संकलन एवं सम्पादन
सुश्री रेवा शर्मा
उपनिदेशक (राजभाषा)
एवं
श्रीमती सरिता जोशी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रकाशन एवं सहयोग हिंदी अनुभाग

पत्र व्यवहार का पता

भारत मौसम विज्ञान विभाग हिंदी अनुभाग, कक्ष सं.- 611 उपग्रह मौसम भवन लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

(राजभाषा नीति सिंहावलोकन पुस्तिका से संबंधित सभी सूचनाओं का संकलन राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक तथा शब्दकोशों और शब्दावलियों आदि से साभार किया गया है।)





महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन, लोदी रोड नई दिल्ली- 110003

संदेश

'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' का तीसरा संस्करण आप लोगों को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यालय में कार्यान्वयन किस प्रकार सरलता के साथ किया जा सके इस उद्देश्य से "राजभाषा नीति सिंहावलोकन" का पहला संस्करण अस्तित्व में आया और उसकी उपयोगिता और लोकप्रियता के परिणामस्वरूप दूसरा संस्करण भी निकाला गया। इसके उपरांत आधुनिकीकरण के चलते इस समयातंराल में विभाग में अनेक परिवर्तन हुए उन्हीं को अद्यतन करते हुए 'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' का तीसरा संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के प्रावधान कहाँ कहाँ हैं और उन प्रावधानों में क्या कहा गया है इसकी जानकारी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को अवश्य होनी चाहिए। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनो ही भाषाओं में यहाँ दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इन बातों की जानकारी होगी तभी वे इसके परिप्रेक्ष्य में राजभाषा नियमों एवं अधिनियमों को समझ सकेंगे और कार्यालय का कार्य राजभाषा हिंदी में नियमान्सार कर सकेंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि 'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' का तीसरा संस्करण भी उतना ही लोकप्रिय और उपयोगी होगा और विभाग के लोग इससे लाभान्वित होंगे।

शुभकामनाओं सहित

के. रेप्स्य (डॉ. के. जे. रमेश)





उपमहानिदेशक(प्रशासन) भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन, लोदी रोड नई दिल्ली -110003

संदेश

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति जागरूक रह कर कार्यालय में राजभाषा नीति का प्रचार प्रसार कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में राजभाषा हिंदी की हो रही उत्तरोत्तर प्रगति के

लिए "राजभाषा नीति सिंहावलोकन" की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' का तीसरा संस्करण इसी बात का प्रमाण है। कार्यालय के सभी कार्मिकों के लिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दी गई है ताकि सुदूर दक्षिण या सुदूर पूर्वोत्तर के कार्यालय में कार्य करने वाले ऐसे कार्मिकों को भी इन नियमों की जानकारी हो जिन्हें अभी हिंदी का ज्ञान नहीं है या कम है। नियमों की सही जानकारी होने से इन नियमों का पालन करने के प्रयास मुखर होंगे। अतः इस दृष्टि से राजभाषा नीति सिंहावलोकन का तीसरा संस्करण भी लोकप्रिय एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग में हो रही राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति में 'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' का यह अंक अवश्य सहायक सिद्ध होगा। अनेकानेक शुभकामनाएं

5/3/-5/18

(गजेन्द्र कुमार)





उपनिदेशक (राजभाषा) भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन, लोदी रोड नई दिल्ली -110003

भूमिका

"राजभाषा नीति सिंहावलोकन" का जब 2007 में पहला संस्करण अस्तित्व में आया तब यह मात्र छत्तीस पृष्ठों की पुस्तिका थी यह पहला प्रयास था जिसमें भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए जो प्रावधान निहित है उनकी जानकारी देने के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही दविभाषी वाक्यांशों को भी शामिल किया गया। उद्धेश्य यही था कि विभाग में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सहज ही उपलब्ध हो सके। वे उसकी गंभीरता व अनिवार्यता को समझते हुए कार्यालय का कार्य हिंदी में अधिक से अधिक कर सकें। इस पुस्तिका को विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बहुत सराहा गया। साथ ही अनेक सुझाव भी मिले। उन सुझावों को अमल में लाते हुए "राजभाषा नीति सिंहावलोकन" का दूसरा संस्करण 2008 में निकाला गया। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के अलावा इस संस्करण में कार्यालय में आमतौर पर प्रयोग होने वाक्यांश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रयुक्त होने वाले पदनाम, भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालयों एवं अनुभागों के नामों को भी द्विभाषी रूप में दिया गया। साथ ही कार्यालय में दिन प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले मानक प्रपत्रों को भी द्विभाषी रूप में यहाँ दिया जाना आवश्यक लगा। इसके अन्तर्गत छुट्टी की अर्जी, कार्यभार ग्रहण, प्रस्थान रिपोर्ट, अग्रेषण पत्र, अग्रिम लेने के लिए आवेदन, सामान्य भविष्य निधि खाते से लिए जाने वाले आवेदन, निविदा सूचनाएँ, सेवा पुस्तिका को भेजना, विदेश यात्रा की अनुमति हेत् प्रपत्र आदि को भी इसमें समाहित किया गया ताकि दिन प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य हिंदी में आसानी से किए जा सकें। और यह सब जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से सुदूर पूर्वीत्तर भारत तक फैले कार्यालयों के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के द्वीप अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर कार्यालय और अरब सागर में अमीन दिवि कार्यालयों को भी सहज रूप से स्लभ हो सके। " राजभाषा नीति सिंहावलोकन" की सॉफ्टकॉपी मेटनेट के हिंदी लिंक "राजभाषा पटल" पर भी उपलब्ध कराई गई। इसका लाभ भारत मौसम विज्ञान के अनेक अधिकारी कर्मचारी ले रहे है।

विगत वर्षों में विभाग में कुछ नए परिवर्तन हुए। कार्यालयों के नामों में पदनामों में भी परिवर्तन आए इन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखते हुए 2018 में राजभाषा नीति सिंहावलोकन के तीसरे संस्करण की ई-बुक तैयार की गई। आज सभी भाषाएं आई टी से जुड़ गई है। इस क्षेत्र में हिंदी भी पीछे नहीं है।

"राजभाषा नीति सिंहावलोकन" का तीसरा संस्करण अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। इसके उपयोग से सभी अधिकारी और कर्मचारी विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार को और आगे बढाएँगें, ऐसा विश्वास है।

लोकमान्य तिलक ने कितना सही कहा है कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है।

पूरे देश में फैले भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालयों के लिए यह ई बुक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी ।







सहायक निदेशक (राजभाषा) भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन , लोदी रोड नई दिल्ली 110003

राजभाषा की बात

संघ की राजभाषा हिंदी के प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबधों के भाग-17 के अध्याय-1 में संघ की राजभाषा, अध्याय-2 में प्रादेशिक भाषाएँ, अध्याय-3 में उच्चतम न्यायालयों आदि की भाषा तथा अध्याय-4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। "राजभाषा नीति सिंहावलोकन" के इस अंक में राजभाषा नियमों, अधिनियमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।

"राजभाषा नीति सिंहावलोकन" का प्रथम अंक वर्ष 2007 में और दूसरा अंक वर्ष 2008 में निकाला गया । अब इस संस्करण को अद्यतन करके तृतीय अंक निकाला जा रहा है। विभाग के नए कार्यालयों, पदनामों आदि को भी इसमें अद्यतन किया गया है। इस अंक की खासियत यह है कि इसे ई-बुक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। विभाग के सभी उपकार्यालयों, कार्यालयों के लिए यह अंक निस्संदेह लाभदायक रहेगा।

आशा है 'राजभाषा नीति सिंहावलोकन' के इस तृतीय अंक के ई-प्रकाशन से संविधान में राजभाषा हिंदी के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में आपका ज्ञानवर्धन होगा।

शुभकामनाओं सहित

(सरिता जोशी)

द्वितीय संस्करण की भूमिका

'राजभाषा नीति - सिंहावलोकन' पुस्तिका का प्रथम संस्करण वर्ष 2007 में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित करवाया गया है । विभागीय वित्तीय सीमाओं के कारण इसकी केवल 500 प्रतियाँ ही गैर सरकारी मुद्रणालय से मुद्रित हुई । इसकी प्रतियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूरे देश में फैले उपकार्यालयों एवं मुख्यालय के सभी अनुभागों को कार्यालय उपयोग के लिए प्रेषित किया गया ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग इस पुस्तिका के प्रथम संस्करण के मुद्रण के पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन था । इसके उपरांत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने के साथ-साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक विभाग बन गया । प्रथम संस्करण की प्रतियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समी सदस्यों को भी प्रेषित की गई ।

'राजभाषा नीति-सिंहावलोकन' के प्रथम संस्करण की सभी लोगों ने प्रशंसा करते हुए पुस्तिका को काफी उपयोगी बताया । प्रथम संस्करण का मुद्रण वित्तीय सीमाओं की परिधि के कारण केवल 500 प्रतियों तक ही सीमित रहने से विभाग के सभी उपकार्यालयों द्वारा उनके अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों में वितरण के लिए प्रथम संस्करण की प्रतियों की माँग लगातार मुख्यालय को प्राप्त होती रही । इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भी प्रथम संस्करण की अतिरिक्त प्रतियों की माँग हमारे विभाग को भेजी लेकिन अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग की तथा मंत्रालय की महत्वपूर्ण माँग को पूरा नहीं किया जा सका ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के उपकार्यालयों एवं मंत्रालय की माँग को ध्यान में रखते हुए "राजभाषा नीति-सिंहावलोकन" पुस्तिका के द्वितीय संस्करण की 2000 प्रतियों का मुद्रण मौसम विज्ञान के अपरमहानिदेशक (अनुसंधान) पुणे के अधीन कार्य कर रहे भारत मौसम विज्ञान विभाग के विभागीय मुद्रणालय से कराया गया है।

चूँकि द्वितीय संस्करण के मुद्रण हेतु पत्रिका की सभी सामग्री का लेज़र प्रिंट (कैमरा रेडी कापी) मुद्रणालय को भेजा जाना अपेक्षित था अतः पूरी सामग्री का लेज़र प्रिंट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किए जाने से पत्रिका की सामग्री काफी स्पष्ट और आकर्षक रूप में मुद्रित हो सकी है।

द्वितीय संस्करण में कार्यालय में आमतौर पर प्रयोग होने वाले वाक्यांशों और टिप्पणियों में कुछ अतिरिक्त वाक्यांशों का समावेश करके उनकी संख्या में वृद्धि की गई है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कागज़ात का विवरण एवं राजभाषा नियम 1976 में दिए गए 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों का विवरण तथा कार्यालय में दैनिक उपयोग के मानक प्र-पत्र द्वितीय संस्करण में दिए गए हैं। विभाग के कार्यालयों एवं अनुभागों के नामों की सूची भी इसमें उपलब्ध है।

'राजभाषा नीति-सिंहावलोकन' के द्वितीय संस्करण को पाठकों की माँग के अनुरूप बनाने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के हिंदी अनुभाग ने भरसक प्रयास किए हैं । पत्रिका का यह द्वितीय संस्करण यदि पाठकों की आकांक्षाओं की कसौटी में खरा उतरा तो हम अपने प्रयासों को सफल मानेंगे । द्वितीय संस्करण के संबंध में पाठकों के सुझावों, विचारों और मार्गदर्शन का हमें इंतजार रहेगा ।

(ए. बी. लाल) ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी





महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन, लोदी रोड नई दिल्ली-110003

संदेश (द्वितीय संस्करण)

'राजभाषा नीति-सिंहावलोकन' का प्रथम संस्करण वर्ष 2007 में प्रकाशित हुआ । विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रथम संस्करण की उपयोगिता को खुले मन से अपनाते हुए छोटी सी पुरितका में संजोई गई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । विभागीय वित्तीय सीमाओं के कारण प्रथम संस्करण की केवल 500 प्रतियाँ ही मुद्रित हो सकने के कारण सभी को उसकी प्रतियाँ मिलना संभव नहीं हो पाया है ।

यह द्वितीय संस्करण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की माँग को ध्यान में रखते हुए मुद्रित किया गया है। प्रथम संस्करण में दी गई सामग्री के अलावा कार्यालय में आमतौर पर प्रयोग होने वाले वाक्यों/वाक्यांशों में कुछ नए वाक्यांश, विभाग के कार्यालयों एवं अनुभागों की सूची और दैनिक उपयोग के मानक प्रपत्र आदि जैसी अत्यावश्यक जानकारी भी द्वितीय संस्करण अपने में संजोए हुए है।

मुझे यह भली-भाँति विदित है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूरे देश में फैले कार्यालय तथा मुख्यालय के सभी अनुभागों के हमारे अधिकारी और कर्मचारी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी 'राजभाषा नीति-सिंहावलोकन' पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का भली भाँति उपयोग करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों को सरकारी कार्यों में ईमानदारी से अपनाकर भारत के संविधान एवं सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का और अधिक जागरूकता और निष्टा के साथ निर्वाह करेंगे।

'शुभकामनाओं सहित'

(अजित त्यागी)

भूमिका

हमारे देश को आज़ादी मिलने के उपरांत देश के संविधान रचियताओं ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र सरकार की राजकाज की भाषा अंगीकार करके हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । संविधान रचिताओं की भावना का सम्मान करते हुए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित-1967) पारित किया जिसे लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाए । राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम लिखित रूप में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए हैं । लेकिन 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में बताए गए द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले कागज़ातों की ठीक से जानकारी अभी तक केंद्र सरकार के कार्मिकों को नहीं होने के कारण धारा 3 (3) के उल्लंघन की आशंका हमेशा बनी रहती है ।

राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) में संघ की राजभाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से पूरे संघ को 'क' 'ख' और 'ग' नाम देकर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जानकारी ठीक से नहीं होने के साथ-साथ राजभाषा नियम 1976 में दी गई केंद्र सरकार के कार्यालय की परिभाषा की भी जानकारी सभी कार्मिकों को नहीं है।

यद्यपि यह सभी जानकारी राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक में दी गई है लेकिन राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई नियम-पुस्तक की प्रतियाँ बहुत ही सीमित मात्रा में प्रकाशित होने के कारण यह नियम-पुस्तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है जिससे सभी कार्मिक राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा संकल्प 1968 एवं राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबन्धों की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (तत्कालीन महासागर विकास विभाग) की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की 22 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्मिकों द्वारा महसूस की जा रही इस कमी को पूरा करने के लिए राजभाषा नीति से संबंधित सभी सूचनाएं इस छोटी-सी पुस्तिका में संकलित की गई हैं। कार्यालय में आम-तौर पर पत्रावलियों में प्रयुक्त होने वाले टिप्पण और मसौदों में प्रयोग में आने वाले थोड़े से शब्दों का समावेश भी इस पुस्तिका में कार्मिकों की सहूलियत के लिए किया गया है।

आशा है कि केंद्र सरकार के कार्मिक इस छोटी सी पुस्तिका में राजभाषा के संबंध में संकलित की गई महत्वपूर्ण जानकारी को जानने और उसे अमल में लाने के लिए इस पुस्तिका को पढ़ने और समझने का समय निकाल कर भारत के संविधान, संसद और सरकार के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान की भावना को अवश्य व्यक्त करेंगे।

ह०/-(ए. बी. लाल) ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी





महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम भवन,लोदी रोड नई दिल्ली—110003

संदेश

मुझे यह सूचित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (तत्कालीन महासागर विकास विभाग) की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 26.9.2005 को हुई 22 वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 4.2 में 'हिंदी में मानक टिप्पणियाँ / मसौदे तथा राजभाषा नियम, अधिनियम की जानकारी से संबंधित बुकलेट / पुस्तिका तैयार करके विभागों में उसके वितरण' हेतु लिए गए निर्णय के अनुपालन में हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा नीति की जानकारी के लिए हमारे विभाग ने "राजभाषा नीति—सिंहावलोकन" पुस्तिका प्रकाशित की है।

इस छोटी—सी पुस्तिका में राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 आदि की मौलिक जानकारी संकलित की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के न केवल प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी बल्कि वैज्ञानिक संवर्ग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी इस छोटी—सी पुस्तिका से राजभाषा नीति की जानकारी प्राप्त करके कार्यालय के कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक व्यावहारिक रूप से प्रयोग करके यह बात सिद्ध कर देंगे कि वैज्ञानिक विभाग भी राजभाषा हिंदी को उसका गरिमामय दर्जा दिलाने में अन्य किसी विभाग से कम नहीं है।

मुझे भली—भाँति विदित है कि हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी बोलचाल में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं लेकिन राजभाषा नीति की सही जानकारी नहीं होने के कारण वे कार्यालय के कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में कुछ झिझक और किनाई महसूस करते हैं किंतु अब "राजभाषा नीति—सिंहावलोकन" पुस्तिका पाठकों के हाथों में सौंपते हुए मुझे यह दृढ विश्वास है कि हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा नीति को सही ढंग से लागू करने का ईमानदारी से भरसक प्रयास करेंगे।

'श्भकामनाओं सहित'

ह0/-(आर.सी.भाटिया)

विषय सूची CONTENTS.

क्र.सं. s.no	विषय SUBJECT	पृष्ट सं. PAGE NO
1.	राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध CONSTITUTIONAL PROVISIONS REGARDING OFFICIAL LANGUAGE	1
2.	राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967)	6
	THE OFFICIAL LANGUAGE 1963 (AS AMENDED 1967)	
3.	राजभाषा संकल्प, 1968 THE OFFICIAL LANGUAGE RESOLUTION, 1968	10
4.	राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) THE OFFICIAL LANGUAGES RULES 1976 (AS AMENDED 1987)	12
5.	कार्यालय में आमतौर पर प्रयोग होने वाले वाक्य/ वाक्यांश और टिप्पणियाँ SOME EXPRESSIONS, PHRASES AND NOTINGS COMMONLY USED IN OFFICES	17
6.	अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं के सामान्य प्रयुक्त पद/ शब्द COMMON PHRASES OF OTHER THAN THE ENGLISH LANGUAGE USED IN CORRESPONDENCE	27
7.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी. किए जाने वाले द्विभाषी कागजात DOCUMENTS TO BE ISSUED BILINGUALLY ACCORDING TO SECTION 3 (3) OF THE OFFICIAL LANGUAGE ACT.	28
8.	राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित 1987) के अनुसार 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों का विवरण DETAILS OF 'A' 'B' & 'C' REGIONS IN ACCORDANCE WITH THE OFFICIAL LANGUAGE RULES 1976 (AS AMENDED 1987)	29
9.	भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रयुक्त पदनाम DESIGNATIONS USED IN INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT	30
10.	भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालयों एवं अनुभागों के नाम NAME OF THE OFFICES AND SECTIONS OF INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT	32
11.	दैनिक उपयोग के मानक प्रपत्र STANDARD PROFORMA OF DAILY USE	34

CONSTITUTIONAL PROVISIONS REGARDING OFFICIAL LANGUAGE

Details of various provisions regarding propagation and implementation of Official language policy in the part v (120), part vi (210) and xvii of the Constitution of india are reproduced as follows:-

OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

Constitution of india part v (120), part vi (210) and part xvII

part V

Language to be used in Parliament

120. (1) Notwithstanding anything in Part xvII, but subject to the provision of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English:

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who can not adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue.

(2) Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom.

Part VI Language to be used in the Legislature

210. (1) Notwithstanding anything in part xvII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the Official Language or Languages of the State or in Hindi or in English:

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address in the House in his mother-tongue. (This article is not applicable to Jammu & Kashmir).

(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom:

राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध भारत के संविधान के भाग-5 (120), भाग 6 (210) और भाग 17 के विभिन्न उपबंधों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है, उनका विवरण यहाँ दिया गया है:-

संघ की राजभाषा नीति भारत का संविधान- भाग 5 (120) , भाग 6 (210) और भाग 17 भाग 5 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

120(I) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं।

भाग 6 विधान-मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

210. (I) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापित अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)।

(2) जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के आरम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हों:

"Provided that in relation to the Legislatures of the States of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Tripura this clause shall have effect as if for the words "fifteen years" occurring therein, the words "twenty five years" were substituted."

part xviii* Language of Union

343. (1) The Official Langauge of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English Language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to international form of indian numerals for any of the official purposes of the Union.

- (3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of-
 - (a) the English language, or
- (b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law.

Commission and Committee of Parliament on Official Language

- **344.** (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eight Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.
- (2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to-
- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348:
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(i) The Official Language of the Union.

^{*} The provisions of the part shall apply to the state of Jammu and Kashmir only in so far as they relate to :-

⁽ii) the Official Language for communication between one State and another or between a State and the Union, and

⁽iii) the language of the proceedings in the Supreme Court

परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।"

भाग 17 * संघ की राजभाषा

343. (।) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के आरम्भ से पन्द्रह वर्ष की अविध तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा थाः

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

- (3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा-
 - (क) अंग्रेजी भाषा का, या
- (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति

- 344. (I) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
 - (2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-
 - (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग ;
 - (ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों ;
 - (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा ;
 - (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप ;

^{*} इस भाग में उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक कि वे:-

⁽i) संघ की राजभाषा

⁽ii) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा, और

⁽iii) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा से संबंधित है।

- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between the State and another and their use.
- (3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the Industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.
- (4) There shall be a constituted Committee consisting, of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the people and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable votes.
- (5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

Notwithstanding anything in article 343 the President, may after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of the report.

REGIONAL LANGUAGES

Official Language or Languages of a State

345. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purpose of that State;

Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Official Language for communication between one State and another or between a State and the Union.

346. The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the Official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State

347. On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by the State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

- (ड.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें।
- (3) खण्ड (2) के अधीन अभी अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
- (4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आपातिक प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में रिपोर्ट दे।
- (6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात उस सम्पूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी कर सकेगा।

प्रादेशिक भाषाएँ राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

345. अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी का उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतरी उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

346. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी:

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच, पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा ।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबन्ध

347. यदि इस निमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपित का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC.

Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Act, Bills etc.

- **348. (1)** Notwithstanding anything in foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides-
 - (a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
- (b) the authoritative text (i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State.
- (ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor*** of a State, and
- (iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language.

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor*** of a State may, with the previous consent of the President authorise the use of the Hindi language or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgement, decree or order passed or made by such High Court.

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), there the Legislature of a State has prescrided any language other than the English Language for use in Bills introduced in, or Acts passed by the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor*** of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English Language published under authority of the Governor*** of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article.

Special procedure for enactment of certain laws relating to language

349. During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliment without the previous sanction of the President and the President shall not give his sanction to the introduction of any such bill of the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

^{***} The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act. 1956 & S. 29 and Sch.

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा

- 348. (I) इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक-
 - (क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ :
- (ख) (I) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
- (II) संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल*** द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और
- (III) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- (2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल***राष्ट्रपित की पूर्व सहमित से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परन्तु इस खण्ड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश को लाग नहीं होगी।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने, उस विधान-मण्डल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल ***द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड के पैरा ।।। में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल *** के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अविध के दौरान, अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी-अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित सिमित की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं।

^{***} या राजप्रमुख संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिए गए ।

SPECIAL DIRECTIVES

Directive for development of the Hindi language

351. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language to develop it so that it may serve as medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Schedule VIII

[Art. 344(1) & 351]

Languages -

1.	Assamese	2.	Oriya	3.	Urdu	4.	Kannada
5.	Kashmiri	6.	Gujarati	7.	Tamil	8.	Telugu
9.	Punjabi	10.	Bengali	11.	Marathi	12.	Malyalam
13.	Sanskrit	14.	Sindhi	15.	Hindi	16.	Nepali*
17.	Konkani*	18.	Manipuri*	19.	Bodo*	20.	Santhali*
21.	Maithili*	22.	Dogri*				

^{*} New languages added to the Schedule VIII

विशेष निदेश हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

351. संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास कर ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अष्टम अनुसूची [अनुच्छेद ३४४ (।) और ३५१]

1.	असमिया .	2. उड़िया	3. उर्दू	4. कन्नड़
5.	कश्मीरी	6. गुजराती	7.तमिल	8. तेलुगु
9.	पंजाबी	10.बंगला	11.मराठी	12.मलयालम
13.	संस्कृत	14.सिन्धी	15.हिंदी	16.नेपाली *
17.	कोंकणी*	18. मणिपुरी*	19.बोडो*	20. संथाली*
21.	मैथिली*	22 डोगरी*		

Book S. S. (2) comes into farce on the lar Cot. 1976 year Nooticesion No. S. O. SEE (E)

^{*} संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएँ।

THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963 (AS AMENDED, 1967) (Act No. 19 of 1963)

(10th May 1963)

The draft committee of the Constitution of India has adopted Hindi, written in Devnagri script, as Official language of the Union on 14th September 1949. The Official Languages Act 1963 was enacted to implement this Act. The bare act of the Official Languages Act is reproduced below:-

An Act to provide for the languages which may be used for the official purposes of the Union, for translation of business in Parliament, for Central and State Acts and for certain purposes in High Courts.

Be it enacted by Parliament in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows:-

- **1. Short title and Commencement :** (1) This Act may be called the Official Languages. Act, 1963.
- (2) Section 3 shall come into force on the 26th day of January, 1965 and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date¹ as the Central Government may by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.
 - (b) "Hindi" means Hindi in Devanagari Script.
- 3. Continuance of English Language for Official purposes of the Union and for use in Parliament-- (1) Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi--
- (a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day, and
 - (b) for the transaction of business of Parliament:
 - 2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires--
- (a) 'appointed day', in relation to section 3, means the 26th day of January, 1965 and in relation to any other provision of this Act, means the day on which that provision comes into force;
- **S.** 5(1) comes into force on the 10 January, 1965 vide notification No. S. O. 94, dated the 4th January. 1965. Gazette of India pt. II Sec. 3(ji) p. 128. S.6, comes into force on the 19th May, 1969 vide notification No. S. O. 1945. dated the 14th May, 1987 Gazette of India, pt. II Sec. 3(ji) p. 2024 S. 7 comes into force on the 7th March, 1970, vide Notification No. S. O. 841 dated The 26th February, 1970, Gazette of India pt. II Sec. 3(ji). S. 5 (2) comes into force on the Ist Oct. 1976 vide Notification No. S. O. 655 (E) dated the 5th October, 1976. Gazette of India pt. II Sec. 3(ji) p. 1901.
- 2 Substituted by Act 1 of 1968, section 2 for section 3.

राजभाषा अधिनियम, 1963 यथासंशोधित, 1967) (1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

(10 मई, 1963)

भारत के संविधान रचयिताओं ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। इस भावना को साकार करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया जिसका बेअर एक्ट यहाँ दिया गया है:-

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
- (2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख 1 को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना दवारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
 2. परिभाषाएं:--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) "नियत दिन" से धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26 वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत होता है;

(ख) "हिंदी" से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

- (3) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना-(1) संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालाविध की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही-
- (क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा
 - (ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए; प्रयोग में लाई जाती रह सकेंगी:

^{1.5 (1) 10} जनवरी, 1965 की घारा 5 (1) प्रवृत हुई, देखिए भारत का राजपत्र, अंग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3 (ii) पृष्ठ 128 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 94 तारीख 4 जनवरी, 1965, तारीख 19 मई, 1969 को घारा 6 प्रवृत हुई, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) भाग 2 अनुभाग 3 (ii) पृष्ठ 2024 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1945 तारीख 14 मई 1969, तारीख 7 मार्च, 1970 को घारा 7 प्रवृत हुई, देखिए भारत का राजपत्र अंग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 841 तारीख 26 फरवरी, 1970, घारा 5 (2) तारीख 1 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत हुई, देखिए भारत का राजपत्र, अंग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3 (ii) पृष्ठ 1901 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 655 (ई) तारीख 5 अक्तूबर, 1976 2. 1968 के अधिनियम संख्यांक 1 की घारा (2) द्वारा घारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its Official Language :

provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its Official Language and another State which has not adopted Hindi as its Official Language, such communication in Hindi shall he accompanied by a translation of the same in the English language:

provided also that nothing in this sub-section shall be construed as preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the Union or with a State which has adopted Hindi as its official language, or by agreement with any other State, and in such a case, it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.

(2) Notwithstanding any thing contained in subsection (1) where Hindi or the English Language is used for purposes of communication -

Language :- .

- (i) between one Ministry or Department or office of the Central Government and another:
- (ii) between one Ministry or Department or office of the Central Government and any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof;
- (iii) between any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof and another;
- a translation of such communication in the English language or as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry, Department, Office or Corporation or Company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and the English language shall be used for-
- (i) resolution, general orders, rules, notification, administrative or other reports or press communiques issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or Office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company.
- (II) Administrative and other report and official papers laid before a House or the Houses of Parliament.
- (III) contracts and agreements executed, and licences, permits, notices and forms of tender issued, by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company.

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है; या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी

भाषा-

- (i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीचः
- (ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उनके किसी कार्यालय के बीचः
- (iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उनके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीचः

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृन्द हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथस्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

- (3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही---
- (i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी दवारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय दवारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं,
- (ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए,
- (iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी

(4) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) the Central Government may, by rules made under section 8, provide for the language/languages to be used for the official purpose of the Union including the working of any Ministry, Department, section or

office, and in making such rules, due consideration shall be given to the quick and efficient disposal of the official business and the interests of the general public and in particular, the rules so made shall ensure that persons serving in connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or in the English language may function effectively and that they are not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages.

(5) The provisions of clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purpose mentioned therein have been passed by the Legislature of all the States which have not adopted Hindi as their Official Language and until after considering the resolution aforesaid a resolution for such discontinuance has been passed by each House of Parliament.

4. Committee on Official Language:

- (1) After the expiration of ten years from the date on which section 3 comes into force, there shall be constituted a Committee on Official Language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses.
- (2) The Committee shall consist of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the people and ten shall be members of the Council of States, to be elected respectively by the members of the House of the people and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
- (3) It shall be the duty of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament and sent to all the State Governments.
- (4) The President may, after consideration of the report referred to in sub-section (3) and the views, if any, expressed by the State Government thereon, issue directions in accordance with the whole or any part of the report:

¹[Provided that the direction so issued shall not be inconsistent with the provisions of section 3.]

- 5. Authorised Hindi translation of Central Acts, etc:- (1) A translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette on and after the appointed day-
 - (a) of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President, or
- (b) of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act; shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi.
- (2) As from the appointed day, the authoritative text in the English language of all Bills to be introduced or amendments there to be moved in either House of Parliament shall be accompanied by a translation of the same in Hindi authorised in such manner as may be prescribed by rules made under this Act.

1.	Inserted by Act of 1968. Section 3.

- (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा (8) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेंगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।
- (5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने. रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और तब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता ।

 4. राजभाषा के संबंध में समितिः (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
- (2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (3) इस समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।
- (4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगाः

¹(परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।)

- 5 केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवादः (1)नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-
 - (क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी आध्यादेश का,अथवा
- (ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
- (2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

^{1 1968} के अधिनियम संख्यांक । की घारा 3 द्वारा अंतःस्थापित

6. Authorised Hindi translation or State Acts in certain cases: Where the Legislature of a State has prescribed any language other than Hindi for use in Acts passed by the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor of the State, a translation of the same in Hindi, in

addtion to a translation thereof in the English language as required by clause (3) of article 348 of the Constitution, may be published on or after the appointed day under the authority of the Governor of the State in the Official Gazette of the State and in such a case, the translation in Hindi or any such Act or Ordinance shall be deemed to be the authoritative text thereof in the Hindi language.

- 7. Optional use of Hindi or Other Official language in judgements etc., of High Courts: As from the appointed day or any day there after the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the Official language of the State. in addition to the English language, for the Purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for that State and where any judgement, decree or order is passed or made in any such language (other than the English language), it shall be accompanied by a translation of the same in the English language issued under the authority of the High Court.
- **8. Power to make rules:** (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- **9. Certain provisions not to apply to Jammu and Kashmir:** The provisions of section 6 and section 7 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

- 6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवादः जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा के उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
- 7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोगः नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मित से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायलय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।
- 8. नियम बनाने की शक्तिः (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
- (2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीन दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो समवर्ती सत्रों में समाविष्ट ही सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के, अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
- 9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होनाः धारा 6 और 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

effs test visions of in companies the object it ested noticeth, then That because the entire with a like or vision gradient and make the bloods

THE OFFICIAL LANGUAGE RESOLUTION, 1968

Ministry of Home Affairs New Delhi, the 18th January, 1968

The following Government Resolution, as adopted by both Houses of Parliament, is hereby published for general information:-

RESOLUTION

"WHEREAS under article 343 of the Constitution, Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India;

This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an annual assessment report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament and sent to all State Governments;

2. WHEREAS the Eighth schedule to the Constitution specifies 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken for the full development of these languages;

The House resolves that a programme shall be prepared and implemented by the Government of India, in collaboration with the State Governments for the coordinated development of all these languages, alongside Hindi so that they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge;

3. WHEREAS it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula evolved by the Government of India in consultation with the State Government;

This House resolves that arrangements should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi speaking areas and of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi speaking areas;

राजभाषा संकल्प, 1968 गृह मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

संकल्प

'जबिक संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना तािक वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गित बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगित की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबिक संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3.जबिक एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि- भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिएः

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी- भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. AND WHEREAS it is necessary to ensure that the just claims and interest of people belonging to different parts of the country in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;

This House resolves:

- (a) that compulsory knowledge of either Hindi or English shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts except in respect of any special services or posts for which a high standard of knowledge of English alone or Hindi alone, or both, as the case may be, is considered essential for the satisfactory performance of the duties of any such service or post; and
- (b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and higher Central Services examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing"

Sd/-R.D. Thapar, Joint Secretary to the Government of India 4. और जबिक यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए;

यह सभा संकल्प करती है-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमित होगी।"

ह./ आर. डी. थापर, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

THE OFFICIAL LANGUAGES (USE FOR OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION) RULES, 1976 (AS AMENDED, 1987) †

The Offical languages Rules 1976 (as amended 1987) were made by the goVernment to implement Official Languages Act 1963 enacted by the parliament. These Rules are known as the Official Languages Rules 1976. The Official Languages Rules 1976 are reproduced below:-

- **G.S.R. 1052:** In exercise of the powers conferred by section 8, read with subsection (4) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. Short title, extent and commencement:- (1) These rules may be called the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976.
 - (2) They shall extend to the whole of India, except the State of Tamilnadu.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires :
 - (a) "Act" means the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963);
 - (b) "Central goernment Office" Includes :
 - (j) any Ministry, Department or office of the Central Government :
- (ii) any office of a Commission, Committee or Tribunal appointed by the Central Government.
- (iii) any office of corporation or company owned or controlled by the central Government :
 - (c) "Employee" means any person employed in a Central Government Office
 - (d) "Notified Office" means an office notified under sub-rule (4) of rule (10);
 - (e) "Proficiency in Hindi" means proficiency in Hindi as descrided in rule 9;
- * (f) "Region A" means the States of Bihar Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Delhi;
- * (g) "Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union territory of Chandigarh;

†[Published in the Gazette of India, Part 1. Section-3 Sub section (1) dated 17-7-1976]

^{*} Official Languages (use for Official purposes of the union)Amendment Rules 1987 No 1/14034/10/87-O.L., (A-1) Date 9-10-1987.

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) 1976 (यथा संशोधित, 1987) †

संसद द्वारा पारित किए गए राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 (यथा संशोधित 1987) बनाए जिनको राजभाषा नियम 1976 कहा जाता है। राजभाषा नियम 1976 का विवरण यहाँ दिया गया है:-

सा. का. नि. 1052- राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
 - (2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत होंगे।

- 2. परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (क) ''अधिनियम'' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
- (ख) ''केंद्रीय सरकार के कार्यालय'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्ः
- (i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अभिकरण का कोई कार्यालय; और
- (iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
- (ग) ''कर्मचारी'' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;
- (ड.) ''हिंदी में प्रवीणता'' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;
- *(च) ''क्षेत्र क'' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :
 - *(छ) ''क्षेत्र ख'' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है:

†{ भारत के 17-7-1976 के राजपत्र के भाग । खण्ड-3 उपखण्ड (I) में प्रकाशित]

* राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 1987 सं. ।/14034/1087 रा.भा.

(क-1), दिनांक 9.10.1987

- (h) "Region C" means the States and the Union territories other than those referred to in clause(f) and (g);
- (i) "Working knowledge of Hindi" means working knowledge of Hindi as described in rule 10.
- 3. Communications to States etc. other than to Central Government offices:-(1)

Communications from a Central Government office to a State or a Union territory in Region 'A' or to any office (not being a Central Government office) or person in such State or Union territory shall, save in exceptional cases, be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English it shall be accompaied by a Hindi translation thereof.

(2) Communications from a Central Government office :-

(a) to a State or Union territory in Region 'B' or to any office (not being a Central Government office) in such State or Union territory shall ordinarily be in Hindi and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof:

Provided that if any such State or Union territory desires the communications of any particular class or category or those intended for any of its offices, to be sent, for a period specified by the Government of the state or union territory concerned, in English, or in Hindi with a translation in the other language, such communication shall be sent in that manner:

- (b) to any person in a State or Union territory of Region 'B' may be either in Hindi or English.
- (3) Communications from a Central Government office to a State or Union territory in Region 'C' or to any office (not being a Central Government office) or person in such State shall be in English.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), communications from a Central Government office in Region 'C' to a State or Union territory of Region 'A' or Region 'B' or to any office (not being a Central Government office) or person in such State may be either in Hindi or in English:

Provided that communications in Hindi shall be in such proportion as the Central Government may, Having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communicatios in Hindi and matters incidental thereto determine from time to time.

- (ज) ''क्षेत्र ग'' से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है:
 - (झ) ''हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान'' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि:-

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से-

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगाः

परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशायित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अविध तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

- (ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
- (3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति, को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
- (4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं:

परन्तु हिदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

4. Communications between Central Government Offices :-

(a) between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English;

(b) between one ministry or Department of the Central Government and attached or subordinate offices situated in Region 'A' shall be in Hindi and in such proportion as the Central government may, having regard to the number of persons having a working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time:

(c) between Central Government offices situated in Region 'A' other than

those specified in clause (a) or clause (b), shall be in Hindi;

(d) between Central government offices situated in Region 'A' and offices in Region 'B' or Region 'C' may be in Hindi or in English;

Provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time;

(e) between Central government offices situated in Region 'B' or Region 'C' may be in Hindi or English :

provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices the facilities for sending communication in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time;

provided that a translation of such communication in the other language shall :-

- (i) where the communication is addressed to an office in Region 'A' or Region 'B' be provided, if necessary, at the receiving end;
- (ii) where the communication is addressed to an office in Region 'C' be provided along with such communication :

Provided further that no such translation in the other language shall be required to be provided if the communication is addressed to a notified office.

5. Replies to communications received in Hindi:- Notwithstanding anything contained in

rules 3 and 4, communications from a Central Government office in reply to communications in Hindi shall be in Hindi.

- 6. Use of both Hindi and English:- Both Hindi and English shall be used for all documents referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act and it shall be responsibility of the persons signing such documents to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English.
- 7. Applications, representations etc:- (1) An employee may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English.

(2) Any Application, appeal or representation referred to in sub-rule (1) when made or signed in Hindi, shall be replied to in Hindi.

(3) Where an employee desires any order or notice relating to service matters (including disciplinary proceedings) required to be served on him to be in Hindi, or as the case may be, in English it shall be given to him in that language without undue delay.

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि:-

(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं:-

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र "क" में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख)

में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय

सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं:

परन्तु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

(ड.) क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या

अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे। परन्तु जहां ऐसे पत्रादि-

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ, यदि आवश्यक हो तो,

उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को सम्बोधित है तो दूसरी

भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

- 5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तरः- नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।
- 6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोगः- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि:- (1) कोई कमचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या

अंग्रेजी में कर सकता हैं।

- (2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।
- (3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

- 8. Noting in Central Government offices:- (1) An employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.
- (2) No Central Government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi except in the case of documents of legal or technical nature.
- (3) If any question arises as to whether a particular document is of a legal or technical nature, it shall be decided by the Head of the Department or office.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, by order specify the notified Offices where Hindi alone shall be used for noting, drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.
- 9. proficiency in Hindi: An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if:-
- (a) he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or
- (b) he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or
- (c) he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.
- 10. Working knowledge of Hindi:- (1) An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi:-
 - (a) if he has passed:
- (i) the Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects; or
- (II) the Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government or when so specified by that Government in respect of any particular category of posts, any lower examination under that Scheme; or
- (III) any other examination specified on that behalf by the Central Government; or
- (b) if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.
- (2) The staff of a Central Government office shall ordinarily be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if eighty per cent of the Staff working therein have acquired such knowledge.
- (3) The Central Government or any officer specified in this behalf by the Central Government may determine whether the staff of a Central Government office has acquired a working knowledge of Hindi.

8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जानाः (।) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी

प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या

नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिंदी में प्रवीणता:- यदि किसी कर्मचारी ने

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा

में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान:- (1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ

उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) The names of the Central Government offices, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi, shall be notified in the Official Gazette;

Provided that the Central Government may if it is of opinion that the percentage of the staff working in a notified office and having a working knowledge of Hindi has gone below the percentage specified in sub-rule (2) from any date, it may, by notification in the Official Gazette declare that the said office shall cease to be a notified office from that date.

- 11. Manuals, codes, other procedural literature, articles of Stationery, etc:(1) All manuals, codes and other procedural literature relating to Central Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form.
- (2) The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English.
- (2) The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English.
- (3) All name-plates, sign boards, letter heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscrided for use in any Central Government office shall be in Hindi and in English;

provided that the Central Government may, that is considered necessary to do so by general or special order exempt any Central Government Office from all or any of the provisions of this rule.

- 12. Responsibility for compliance :- (1) It shall be the responsibility of the administrative head of each Central Government office:-
- (i) to ensure that the provisions of the Act, these rules and directions issued under sub-rule 2 are properly complied with; and
 - to devise suitable and effective check points for this pupose.
- (2) The Central Government may from time to time issue such directions to its employees and officers as may be necessary for the due compliance of the provisions of the Act and these rules.

Form (See rules 9 and 10)

I hereby declare that I * possess proficiency in Hindi have acquired a working knowledge of Hindi in view of the following:-

Date:

Signature

^{*} Delete whichever is applicable.

(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से

अधिसचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11.मैन्युअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि:-

- (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप्र में यथारिथति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।
- (3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबन्धों से छूट दे सकती है।

- 12. अनुपालन का उत्तरदायित्व:- () केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-
- (i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
 - (ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करें।
- (2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

प्ररूप

(नियम 9 और 10 देखिए)

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित के आधार पर *मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है:-

तारीख

हस्ताक्षर

^{*}जो लागू न होता हो, उसे कृपयां काट दीजिए।

कार्यालय में आमतौर पर प्रयोग होने वाले वाक्य/ वाक्यांश और टिप्पणियाँ

SOME EXPRESSIONS/PHRASES AND NOTINGS COMMONLY USED IN OFFICES

A

1.	Above given
2.	Above mentioned
3.	A brief note is placed below
4.	A brief summary of the case is placed below
5.	Acceded to
6.	Acceptance in principle
7.	Acceptance is awaited
8.	Accepted and passed for payment
9.	Accepted provisionally
10.	Accord approval to
11.	Accordingly
12.	According to convenience
13.	Acknowledgement is awaited
14.	Acting in official capacity
15.	Action has already been taken in the matter
16.	Action is underway
17.	Action may be taken as proposed
18.	Administrative approval may be obtained
19.	Administrative constraints
20.	Advance for purchase of stationery may be sanctioned
21.	Advance of T.A.may please be arranged
22.	Advise against
23.	After adequate consideration
24.	After consultation with
25.	After discussion
26.	After issue
27.	After perusal
28.	Against public interest
29.	Agenda is sent herewith
30.	A list of cases disposed of is placed below
31.	All concerned to note
32.	Alphabetical list
33.	Amendment of rules
34.	Applicable to

35.

Apply to

ऊपर दिया हुआ उपर्युक्त संक्षिप्त नोट नीचे दिया है मामले का सारांश नीचे दिया है स्वीकार किया गया सिद्धांत रूप में स्वीकृति स्वीकृति की प्रतीक्षा है स्वीकृत और भुगतान के लिए पास किया गया अनन्तिम रूप से स्वीकृत कृपया.....को अनुमोदित करें तदनुसार सुविधानुसार पावती की प्रतीक्षा है पद की हैसियत से कार्य करते हए/कार्यकारी अधिकारी इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है कार्रवाई की जा रही है यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए प्रशासनिक बाध्यता/ कठिनाइयाँ लेखन-सामग्री की खरीद के लिए अग्रिम मंजूर किया जाए

कृपया यात्रा-भत्ते के अग्रिम का प्रबंध कर दें के प्रति चेतावनी समुचित विचार के बाद से परामर्श करके विचार-विमर्श के बाद जारी होने के बाद देख लेने के बाद, अवलोकन के बाद लोकहित के विरुद्ध कार्यसूची साथ भेजी जा रही है निपटाए गए मामलों की सूची नीचे रखी है सभी संबंधित नोट करें वर्णक्रम सुची नियमों का संशोधन पर लागू है आवेदन करना,अर्जी देना/ लागू होना, लागू करना

	urodor i la n urod 1 suda parun ur. 177	
36.	Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए
37.	Arrear report has not been recieved	बकाया काम की रिपोर्ट नहीं मिली है
38.	Articles asked for are out of stock	माँगी गई वस्तुएँ स्टॉक में नहीं है
39.	As a matter of fact	यथार्थतः, वस्तुतः
40.	As amended	यथासंशोधित
41.	As a result of	के फलस्वरूप
42.	As before	पूर्ववत्, यथापूर्व
43.	As desired in your letter quoted above	जैसा उपर्युक्त पत्र में कहा गया है
44.	As directed	निदेशानुसार
45.	As is where is	जैसा है और जहाँ है
46.	As it involves legal complications, opinion of law officer may be sought in the matter	मामले में कानूनी जटिलताएँ हैं,इसलिए विधि अधिकारी की राय ली जाए
47.	As mentioned above	जैसा कि ऊपर कहा गया है
48.	As per instructions	अनुदेशानुसार
49.	As recommended by	की सिफारिश के अनुसार
50.	As regards the particular matter in question.	जहाँ तक विचाराधीन मामले का संबंध है
51.	As required under the rules	जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित है/हो
52.	Attached herewith	इसके साथ संलग्न
53.	Attention is invited to circular/office memo	उपर्युक्त विषय पर दिनांकवं
	nodatedon the subject noted above	परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन संख्या की ओर ध्यान दिलाया जाता है
54.	At the maximum of the scale	वेतनमान के अधिकतम पर
55.	Authority competent to sanction/make	मंजूरी देने/भुगतान करने/निर्णय देने
	payment/decide the case	के लिए सक्षम प्राधिकारी
	В	
1.	Background of the case	मामले की पृष्ठभूमि
2.	Balance at credit	जमा खाते शेष
3.	Balance in hand	रोकड़ बाकी
4.	Ban on creation of posts	पदों के सृजन पर रोक
5.	Ban on future promotion	भावी पदोन्नति पर रोक
6.	Behind schedule	निर्धारित समय के बाद
7.	Benefit of death gratuity	मृत्यु उपदान हितलाभ
8.	Beyond reasonable doubt	उचित संदेह से परे
9.	Bill outstanding	बकाया बिल
10.	Bills have been drawn	बिलों पर अदायगी ली जा चुकी है
11.	Both days inclusive	दोनों दिन शामिल
12.	Brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है
13.	Bring the matter into the light	मामले को सामने लाना
14.	Budget provision exists	बजट में व्यवस्था है
15.	By authority of	के प्राधिकार से
16.	By hand	दस्ती, हाथों हाथ
17.	By registered post	रजिस्ट्री से, पंजीकृत डाक द्वारा
18.	By virtue of office	पद की हैसियत से, पद के नाते

19 **C**

1.	Call for an explanation	जवाब तलब किया जाए,स्पष्टीकरण माँगा जाए
2.	Call upon to show cause	कारण बताने को कहा जाए
3.	Carry out	पालन करना
4.	Case has been closed	मामला समाप्त कर दिया गया है
5.	Case is resubmitted	मामला पुनः प्रस्तुत है
6.	Cases for disposal	निपटान के लिए मामले
7.	Certificate by the competent authority is	सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
	required	अपेक्षित है
8.	Charge handed over	कार्यभार सौंप दिया
9.	Checked and found correct	जाँच की और सही पाया
10.	Circulate and then file	परिचालित कर फाइल कर दीजिए
11.	Collaborative projects	सहयोगात्मक परियोजनाएँ
12.	Collection of arrears	बकाया वसूली
13.	Come into force	लागू होना
14.	Commutation of pension	पेंशन का सारांशीकरण
15.	Concluding remark	समापन टिप्पणी
16.	Consequent upon	के परिणामस्वरूप
17.	Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
18.	Continue in office	पद पर बने रहना
19.	Copy enclosed for ready reference	सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न
	Take the second of the second	\$
20.	Copy forwarded for information and	सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
	necessary action	प्रतिलपि अग्रेषित
21.	Corrections & Alterations	शोधन और परिवर्तन
22.	Correspondence referred to above	उपर्युक्त पत्राचार
23.	Cross voting	प्रतिकूल मतदान
24.	Cutting edge Technology	अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी
	D	
1.	Damage claim	नुकसानी दावा
2.	Date and time of receipt	आवती मिलने की तारीख और समय
3.	Day to day administrative work	नित्य का प्रशासनिक कार्य
4.	Dear Madam	महोदया
5.	Dear Sir	महोदय
6.	Death benefit	मृत्यु हितलाभ
7.	Decision is awaited	निर्णय की प्रतीक्षा है
8.	Deduction at source	स्त्रोत पर कटौती
9.	Deficit Budget	घाटे का बजट
10.	Delay in disposal	निपटान में देरी/विलम्ब
11.	Delay regretted	विलंब के लिए खेद है
12.	Delegation of financial powers	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
13.	Demi official (D.O.)	अर्ध-शासकीय, अर्ध-सरकारी
14.	Departmental investigation	विभागीय जाँच-पड़ताल
15.	Departmental irregularities	विभागीय अनियमितता
16.	Detrimental to the interest of	के लिए अहितकर
17.	Discrepancy may be reconciled	विसंगति का समाधान कर लिया जाए
18.	Discretionary power	विवेकाधिकार
		20/

19.	Discrimination	भेदभाव, विभेद
20.	Disposal of cases	मामलों का निपटारा
21.	Disregarding the facts	तथ्यों की उपेक्षा करते हुए
22.	Do the needful	आवश्यक कार्रवाई करें
23.	Draft for approval	अनुमोदनार्थ प्रारूप/मसौदा
24.	Draft reply is put up for approval	उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है
25.	Drought Prone area	सूखा संभावित क्षेत्र
26.	Duly complied	विधिवत पालन किया गया
27.	During the course of discussion	चर्चा के दौरान
	E	
1.	Early action in the matter is requested	अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र
		कार्रवाई करें
2.	Earth Sciences	पृथ्वी विज्ञान
3.	Eligible members of family	परिवार के पात्र सदस्य
4.	Entry in leave account/service record for initials please	छुट्टी खाते/सेवा अभिलेख में की गई प्रविष्टि आद्याक्षर के लिए प्रस्तुत है
5.	Errors and omissions	भूल - चूक
6.	Examination of the case	मामले की जाँच
7.	Exigencies of administrative work	प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक
	Exigences of administrative work	आवश्यकताएँ
8.	Ex-parte judgement	एकपक्षीय निर्णय
9.	Expedite action	कार्रवाई शीघ्र करें
10.	Experimental basis	प्रायोगिक आधार
11.	Ex-post facto sanction	कायोत्तर मंजूरी/संस्वीकृति
12.	Extension of leave	छुट्टी बढ़ाना
13.	Extension of posts	पदों की अवधि बढ़ाना
	F.	
1.	Facilities are not available	सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है
2.	Fair copy	स्वच्छ प्रति
3.	Final concurrence is accorded	अंतिम सहमति दी जाती है
4.	Fix a date for the meeting.	बैठक की तारीख नियत की जाए
5.	Following transfers and postings will take effect	निम्नलिखित रथानांतरण और
	immediately	तैनातियाँ तत्काल प्रभावी होंगी
6.	Follow up action	अनुवर्ती कार्रवाई
7.	For action	कार्रवाई के लिए
8.	For approval	अनुमोदनार्थ, अनुमोदन के लिए
9.	For comments	टिप्पणी के लिए
10.	For concurrence	सहमति के लिए
11.	For consideration	विचारार्थ
12.	For disposal	निपटान के लिए
13.	For early compliance	शीघ्र अनुपालन के लिए
14.	For favourable action	अनुकूल कार्रवाई के लिए
15.	For further action	आगे की कार्रवाई के लिए

16. For guidance मार्गदर्शन के लिए 17. For information सूचनार्थ, सूचना के लिए 18. For perusal अवलोकनार्थ 19. For precedent पूर्व उदाहरण के लिए 20: For ready reference तत्काल संदर्भ के लिए 21. For signature हस्ताक्षरार्थ, हस्ताक्षर के लिए 22. For suggestion सुझाव देने के लिए 23. For sympathetic consideration सहानुभृतिपुर्ण विचार के लिए 24. For the time being फिलहाल 25. For Verification सत्यापन के लिए Forwarding letter 26. अग्रेषण-पत्र 27. Further orders will follow आगे और आदेश भेजे जाएँगे 1. संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण Get clarification of the staff concerned माँगा जाए 2. Give details विस्तृत जानकारी दें Give top priority to this work 3. इस कार्य को परम अग्रता दें 4. Governed by the rules नियमों द्वारा शासित Gradation of confidential reports 5. गोपनीय रिपोर्टी का कोटिकरण 6. Goof up (Goofy) काम ठीक से न कर पाना 7. Grape wine अफवाह 8. Grass root level निचले स्तर पर H Hand in gloves with 1. मिलीभगत होना 2. Has been dealt with suitably समुचित कार्रवाई की गई है 3. Has no comments to make को कोई टिप्पणी नहीं करनी है 4. Here-in-after इसमें/ इसके पश्चात 5. Here-in-before इससे पहले, इससे पूर्व 6. His request be acceded to उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाए 7. His request is in order उनका अनुरोध नियमानुसार है 8. Hold lien on post पद पर लियन होना/पद पर वापसी का हक 1. I agree with "A" above मैं ऊपर 'क' से सहमत हँ 2. I am directed to state that मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 3. If approved, a letter will be sent on the above lines यदि अनुमोदन करें तो उपर्युक्त के आधार पर पत्र भेजा जाएगा 4. If deemed fit यदि उचित समझें 5. I am to say मुझे यह कहना है कि 6. I beg to submit निवेदन है कि 7. I fully agree with the office note कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूर्णतया सहमत हँ 8. I have been directed to inform you मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको

सूचित करूँ

	9.	In absence of information	सूचना के अभाव में
	10.	In accordance with	के अनुसार
	11.	In acknowledging receipt of	की पावती भेजते हुए
	12.	In addition to	के अतिरिक्त
	13.	In anticipation of your approval	आपके अनुमोदन् की प्रत्याशा में
	14.	In any case	किसी भी दशा में
	15.	In a nutshell	संक्षेप में
	16.	In compliance with	का पालन करते हुए, के अनुपालन में
	17.	In confirmation of	की पुष्टि में
	18.	In conformity with	के अनुरूप
	19.	In connection with	के संबंध में
2	20.	In consequence of	के परिणामस्वरूप, के फलस्वरूप
	21.	In consideration of	को ध्यान में रखते हुए
	22.	In consultation of	से परामर्श करके
	23.	In continuation of	के क्रम में
	24.	In contravention of	का उल्लंघन करते हुए
	25.	In course of	के दौरान
	26.	In detail	विस्तार से
	27.	Indispensable	अनिवार्य, अपरिहार्य
	28.	In exercise of	का प्रयोग करते हुए
	29.	In favour of	के नाम से, के पक्ष में
	30.	Information has already been sent under	इस कार्यालय के पत्र
	00.	this office letter no	संख्याके अंतर्गत सूचना
			पहले ही भेजी जा चुकी है
	31.	In lieu of	के बदले में
	32.	In official capacity	पद की हैसियत से
	33.	In order of priority	प्राथमिकता के क्रम में
	34	In partial modification of	का आंशिक संशोधन करते हुए
	35.	In prescribed manner	निर्धारित तरीके से
	36	In public interest	लोकहित में, जनहित में
	37.	In pursuance of	के अनुसरण में, के अनुसार
	38.	In service training	सेवाकालीन प्रशिक्षण
	39.	Inspite of repeated reminders, the information	बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद
	55.	has not been received so far	अभी तक सूचना नहीं मिली है
	40	In supersession of	का अधिक्रमण करते हुए
	40.	In the aggregate	कुल मिलाकर
	41.	In the case of	की स्थिति में, के विषय में
	42.	In the case of	की परिस्थितियों में
	43.	In the course of action	कार्रवाई के दौरान
	44.	In the ends	उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
	45.		को ध्यान में रखते हुए
	46.	In the light of In this connection it may be pointed out that	इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि
	47.	In troubled waters	मुसीबत में
	48.	and the state of t	उपर्युक्त को देखते हुए
	49. 50.	The state of the s	की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते
	50.	myning your attorney	हुए
		NO. 105	10 Execution 10 Ex

51.	Irrespective of the fact	इस बात का विचार किए बिना
52.	Is hereby informed	को सूचित किया जाता है
53.	Is self-explanatory	स्वतः स्पष्ट है
54.	Issue today	आज ही जारी करें
55.	It has been noticed that	यह देखा गया है कि
56.	It has since been decided	अब यह निर्णय लिया गया है
57.	It is a matter of regret that	खेद की बात है कि
58.	It is highly objectionable	यह बहुत ही आपत्तिजनक है
	J	Heel werpstallers; nu, e.
1.	Justification for the proposal	प्रस्ताव का ओचित्य
2.	Justification has been accepted	औचित्य स्वीकार कर लिया गया है
		जानिय रवायमर प्रतासवा नेपा ह
1.	Keeping in view	
2.	Keep pending	को ध्यान में रखते हुए
3.	Keep with the file	लंबित रखा जाए, निर्णयार्थ रोका जाए
4.	Kindly expedite disposal	इसे पत्रावली के साथ रखिए
5.		कृपया शीघ्र निपटान करें
6.	Kindly acknowledge receipt Kindly review the case	कृपया पावती भेजें
7.	Knock down price	कृपया मामले पर पुनः विचार करें
8.	Knowingly and Unlawfully	नीलामी कीमत
0.	Rifownighy and Onlawfully	जानबूझकर और अवैध रूप से
1.	L Laid down in	20.00
2.	Last pay certificate (L.P.C)	में निर्धारित
3.	Latest by	अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र
4.	Lay before	अधिक से अधिक
5.	Leave asked for may be sanctioned	समक्ष रखना, सामने रखना
6.	Leave application	चाही गई छुट्टी स्वीकृत की जाए
7.	Leave not due	छुट्टी का आवेदन
8.	Leave not earned	अदेय छुट्टी/अर्जनशोध्य छुट्टी
9.	Leave of absence	अनर्जित छुट्टी
10.	Leave on medical ground	अनुपस्थिति की अनुमति
11.	Leave to appeal	चिकित्सा छुट्टी
12.	Leave travel concession	अपील के लिए अनुमति
13.	Letter of acknowledgement	छुट्टी यात्रा रियायत पावती
14.	Letter of allotment	4. Arc 122447
15.	Letter of authority	आबंटन पत्र
16.	Letter of credence	प्राधिकार पत्र प्रत्यय-पत्र
17.	Letter of credit	
18.	Letter of intent	साख-पत्र
19.	Letter of introduction	आशय-पत्र परिचय-पत्र
20.	Level of confidence	
21.	Liable to disciplinary action	आश्वस्तता स्तर
EVEN F	Part and the same of the	अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है
		G

22.	Liable to termination on one week's notice	एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है
23.	Lodging allowance	आवास भत्ता
24.	Lost in transit	मार्ग में हानि
25.	Lowest price	निम्नतम मूल्य
26.	Low income group	निम्न आय वर्ग
27.	Look into the matter	मामले को देखें
28.	Looking after the current duties (LACD)	कार्यभारी अधिकारी
	epper of the second of the sec	
	M	
1.	Make interim arrangements	अंतरिम प्रबंध करें
2.	Matter has been examined	मामले कीं जाँच कर ली गई है
3.	Matter is under consideration	मामला विचारधीन है
4.	Maximum age to enter Govt. service	सरकारी सेवा में प्रवेश करने की
. L	Mac sall par do de en a	अधिकतम आयु
5.	May be approved	अनुमोदित किया जाए
6.	May be considered	विचार किया जाए
7.	May be filed	फाइल कर दिया जाए
8.	May be obtained	प्राप्त किया जाए
9.	May be passed for payment	भुगतान के लिए पास किया जाए
10.	May be permitted	अनुमति दी जाए
11.	May be requested to clarify	से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया जाए
12.	May be sanctioned	संस्वीकृत किया जाए
13.	May be treated as urgent	इसे अति आवश्यक समझा जाए
14.	May please furnish the requisite information	कृपया अपेक्षित सूचना दें
15.	May please see	कृपया देखें
16.	Medical certificate of fitness	स्वस्थता प्रमाण पत्र
17.	Memorandum of understanding	समझौता ज्ञापन
18.	Mentioned above	उपर्युक्त
19.	Mentioned there in	में उल्लिखित
20.	Monkey bussiness	संदेहास्पद गतिविधियाँ
21.	Monthly arrears statement	मासिक बकाया विवरण
22.	Monthly progress report	मासिक प्रगति रिपोर्ट
23.	Much water has flown from under the bridge	इस बीच बहुत कुछ बीत चुका है
		VER MOR VIOVEDER

N

1.	Necessary action may be taken	
2.	No action is necessary	
3.	No Demand certificate	
Δ	No objection certificate	

आवश्यक कार्रवाई की जाए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है बेबाकी प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र

	COMPANIENCE OF STREET	and the fell paragraph of the life of the
1.	Obtain formal sanction	औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें
2.	On an ad-hoc basis	तदर्थ आधार पर
3.	On an average	औसतन
4.	On deputation	प्रतिनियुक्ति पर
5.	On grounds of seniority	वरिष्ठता के आधार पर
6.	On merits	गुणवत्ता के आधार पर
7.	On the subject noted above	उपर्युक्त विषय पर
8.	On the whole	कुल मिलाकर
9.	On verification it was found that	जाँच से मालूम हुआ है कि
10.	Open part file	खंड फाइल खोलें
11.	Option for pension	पेंशन के लिए विकल्प
12.	Orders are solicited	कृपया आदेश दें
13.	Out to-day	आज ही भेजिए
51.1	for the property of the party o	me stellerren flygger i hate se
1.		
	Passed for payment	भुगतान के लिए पास किया गया
2. 3.	Physical verification	प्रत्यक्ष सत्यापन
3. 4.	Please acknowledge receipt	कृपया पावती भेजें
4.	Please fix the date and time for the meeting	कृपया बैठक की तारीख और समय निश्चित करें
5.	Please put up draft reply	कृपया उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करें
6.	Please see over leaf	कृपया दूसरे पृष्ठ पर देखें
7.	Please speak	बात कीजिए
8.	Progress is too slow	प्रगति अत्यंत धीमी है
9.	Put up draft of DO to all Heads of Department	सभी विभागाध्यक्षों के नाम
		अर्द्धसरकारी पत्र का मसौदा
		प्रस्तुत करें
10.	Put up for orders please	आदेश के लिए प्रस्तुत करें
		The state of the s
	O market and the state of the s	
1.	Quantum	मात्रा
2.	Quote reference	संदर्भ बताएँ का अपन
	THE REPORT OF THE REAL PROPERTY AND THE PROP	
		tu med nwolkasid retew regim 88
1.	Recovery from pay	वेतन से वसूली
2.	Recovery should be effected	रकम वसूल की जाए
3.	Reference your note on prepage	पिछले पृष्ठ पर आपकी टिप्पणी के संदर्भ में
4.	Reminder may be sent	रमरण-पत्र भेज दें
5.	Report for duty	ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें
3.	Requires modification	संशोधन की आवश्यकता है

S

	3	
1.	Sanction may be conveyed	स्वीकृति संसूचित की जाए
2.	Seen, file	देख लिया, फाइल किया जाए
3.	Seen, Thanks	देख लिया, धन्यवाद
4.	Self contained note	स्वतः पूर्ण टिप्पणी
5.	Should be given top priority	परम अग्रता दी जाए
6.	Show cause notice	कारण बताओ नोटिस
7.	State of art Technology	अद्यतन प्रौद्योगिकी
8.	Statement is attached	विवरण संलग्न है
9.	Submitted for approval	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है
10.	Submitted for information	सूचनार्थ प्रस्तुत है
11.	Submitted for orders	आदेश के लिए प्रस्तुत है
12.	Submitted for perusal	अवलोकन के लिए प्रस्तुत है
13.	Such action as may be deemed necessary	ऐसी कार्रवाई जो आवश्यक समझी जाए
14.	Suitable reply may be given	समुचित उत्तर भेज दिया जाए
15	Sustained development	सतत विकास
16.	Sympathetic consideration	सहानुभूतिपूर्वक विचार
	T	de seid
1.	Tactical and Strategic decision	कुशल एवं नीतिपूर्ण निर्णय
2.	This is to certify	प्रमाणित किया जाता है कि
3.	This may please be approved	कृपया इसका अनुमोदन करें
4.	This may please he acknowledged	कृपया इसकी पावती दें
5.	Through proper channel	उचित माध्यम से
6.	Through over sight	चूक से/भूल से
7.	Till further orders	अगले आदेश तक
8.	To	सेवा में
9.	To the best of my knowledge	जहाँ तक मुझे जानकारी है
	U	
1.	Until further orders	अगला आदेश मिलने तक
	V	
1.	Value payable parcel (VPP)	मूल्यदेय पार्सल
	W	SPET GROSSIE
1.	Website	भूमंडलीय संजाल
2.	With effect from	से प्रभावी
3.	Without further delay	ते प्रनापा बिना आगे और विलंब किए
J.	Vittlout further delay	विभा जारा जारा विश्व विश्
1.	You are hereby informed that	आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि
2.	Your further remarks/view on the above subject are awaited	उपर्युक्त विषय पर आपकी आगे की टिप्पणी/राय की प्रतीक्षा है
3.	Yours faithfully	भवदीय, भवदीया
4.	Yours sincerely	आपका, भवदीय
5.	Yours truly	आपका, भवदीय
V		27/

अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं के सामान्य प्रयुक्त पद/शब्द Common phrases of Other than the English Language used in Correspondence

Ab initio

Ad hoc

Ad infinitum

Ad inerim

Ad valorem

ante

Bonafide

Bonafides

De facto

De jure

De novo

Dias non

= ...

Ex gratia Ex officio

Exparte

Expost facto

Habeas corpus writ

Inter alia

Inter se

In toto

Locus standi

Malafide

Modus operandi

Mutais mutandis

Nota bene

Persona grata

Prima facie

Pro vata

Pros and cons

Sine die

Status quo

Sub judice

Ultra vires

Vis-a vis

Viva voce

प्रारम्भ से/शुरू से

तदर्थ

निरवधि

अन्तरिम

यथामूल्य

पहले

सदाशयी/वास्तविक

सदाशयता, सदभावना

वस्तुतः

विधितः

नए सिर से

अकार्य दिवस

अनुग्रहपूर्वक

पदेन

एक पक्षीय/एकतरफा

कार्योत्तर

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

अन्य बातों के साथ-साथ

पारस्परिक/आपसी

सम्पूर्णतः/पूरी तरह से

सुने जाने का अधिकार,

अधिकारिता

दुर्भावना

कार्यप्रणाली

यथोचित परिवर्तनों सहित

विशेष ध्यान दें

ग्राहय व्यक्ति

प्रथम दृष्टि से/जाहिर तौर पर

अनुपाततः

पक्ष-विपक्ष/आगा पीछा

अनिश्चित काल के लिए

यथापूर्व स्थिति

न्यायाधीन

अधिकारातीत

आमने-सामने/तुलना में

मौखिक परीक्षा

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार द्विभाषी कागजात

- (क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए :-
- 1. संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियाँ,
- 2. संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएँ तथा निविदा प्ररूप,
- 3. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र ।

-राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3)

- (A) Use of both Hindi and English should be ensured for the following purposes:-
 - 1 Resolutions, general order, rules, notifications, administrative and other reports and press communiques.
 - 2 Contracts, agreements, licence, permits, tender notices and forms of tender.
 - Administrative and other Reports and official documents to be laid before a House or Houses of parliament.

Section 3 (3) of the O.L. Act.

सामान्य आदेश की परिभाषा

2.1 स्थायी प्रकार के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश और परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस, परिपत्र आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में या उनके लिए हो, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन सामान्य आदेश कहलाते ।

2.1 Definition of General orders

All orders, decisions, instructions and circulars intended for departmental use and which are of standing nature and all such orders, instructions, letters, memoranda, notices, circulars etc. relating to or intended for a group or groups of Government employees are known as "General orders" under section 3 (3) of O. L. Act.

राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार "क" "ख" और "ग" क्षेत्र का विवरण

- "क क्षेत्र अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हिरयाणां और हिमाचल प्रदेश राज्यों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय ।
- "ख" क्षेत्र अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय ।
- "ग" क्षेत्र अर्थात् "क और "ख क्षेत्रों में नहीं शामिल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय ।

(जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप)

Details of "A" "B" and "C" regions in accordance with the Official Language rules 1976 (as amended 1987)

- Region "A" viz. offices located in the states of Uttar Pradesh, Uttrakhand, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Rajasthan, Haryana and Himachal Pradesh, the Union Territories of Delhi & Andaman Nicobar Islands.
- Region "B" viz. offices located in the states of Maharashtra, Gujarat, Punjab and the Union territory of Chandigarh.
- Region "C" Offices located in states/Union territory not included in region "A" and "B" (Jammu & Kashmir, Andhra Pradesh, Tamilnadu, Karnataka, Kerala, Pondichery, West Bangal, Orissa, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Goa, Tripura, Sikkim, Dadar & Nagar Haveli, Lakshdweep.)

भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रयुक्त पदनाम Designations used in India Meteorological Department

Director General Of Meteorology	मौसम विज्ञान के महानिदेशक
Scientist G	वैज्ञानिक 'जी'
Scientist F	वैज्ञानिक 'एफ'
Scientist E	वैज्ञानिक 'ई'
Scientist D	वैज्ञानिक 'डी'
Scientist C	वैज्ञानिक 'सी'
Scientist B	वैज्ञानिक 'बी'
Scientific Officer-I	वैज्ञानिक अधिकारी - ।
Scientific Officer-II	वैज्ञानिक अधिकारी - ॥
Scientific Officer-III	वैज्ञानिक अधिकारी- III
Comptroller Of Accounts	लेखा नियंत्रक
Deputy Director General (Admin)	मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन)
Deputy Director General (Finance)	मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (वित्त)
Deputy Director (Official Language)	उपनिदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (Official Language)	सहायक निदेशक (राजभाषा)
Meteorologist-A	मौसम विज्ञानी –ए
Meteorologist-B	मौसम विज्ञानी –बी
Senior Translator	वरिष्ठ अनुवादक
Junior Translator	कनिष्ठ अनुवादक
Security Officer	सुरक्षा अधिकारी
Vigilance Officer	सतर्कता अधिकारी
Welfare Officer	कल्याण अधिकारी
Drawing & Disbursing Officer	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
Administrative Officer	प्रशासनिक अधिकारी
Assistant	सहायक
Stenographer	आश्लिपिक
Librarian	पुस्तकाल्याध्यक्ष
Upper Division Clerk	उच्च श्रेणी लिपिक
Lower Division Clerk	अवर श्रेणी लिपिक
Personal Secretary	निजी सचिव

वरिष्ठ निजी सचिव
वैज्ञानिक सहायक
मैकेनिकल सहायक
प्रयोगशाला सहायक
रेडियो मैकेनिक
मैकेनिक
बढ़ई
इलैक्ट्रिशयन
खजांची
अभिरक्षक/ केयरटेकर
रिसेप्शनिस्ट/स्वागत अधिकारी
अभिलेखपाल
बहु कार्य कार्मिक
प्रयोगशाला परिचर

भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय एवं अनुभाग OFFICES AND SECTIONS OF INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

India Meteorological Department	भारत मौसम विज्ञान विभाग
Office Of the Director General Of Meteorology	मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय
Climate Research and Services, Pune	जलवायु अनुसंधान और सेवाएं, पुणे
Regional Meteorological Centre	प्रादेशिक मौसम केंद्र
Meteorological Centre	मौसम केंद्र
Meteorological Office	मौसम कार्यालय
Aeronautical Meteorological Office	वैमानिक मौसम कार्यालय
Flood Meteorological Office	बाढ़ मौसम कार्यालय
Cyclone Detection Radar	चक्रवात संसूचन रेडार
Cyclone Warning Centre	चक्रवात चेतावनी केंद्र
Pilot Balloon Observatory	पवन सूचक गुब्बारा वेधशाला
Hydrogen Factory	हाइड्रोजन फैक्ट्री
Meteorological Observatory	मौसम वेधशाला
Central Seismological Observatory	केंद्रीय भूकंप वेधशाला
Positional Astronomy Centre	खगोल विज्ञान केंद्र
Automatic Weather Station	स्वचालित मौसम स्टेशन
Civil Aviation Training Centre	नागर विमानन प्रशिक्षण केंद्र
National Weather Forecast Centre	राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र
Right to Information Cell	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
Establishment section	स्थापना अनुभाग
Budget & planning section	बजट एवं आयोजना
Organisation section	संगठन अनुभाग
General section	सामान्य अनुभाग
Information science & knowledge resource development division	सूचना विज्ञान एवं ज्ञान संसाधन विकास प्रभाग
Vigilance Section	सतर्कता अनुभाग
Numerical Weather Prediction	संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एन डब्ल्यू पी)

राष्ट्रीय ओज़ोन केंद्र
सूचना संचार और उपकरण प्रशिक्षण केंद्र
पर्यावरण निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र (ई.एम.आर.सी.)
कल्याण अनुभाग
जल मौसम प्रभाग
उपरितन वायु उपकरण प्रभाग
उपग्रह मौसम प्रभाग
केंद्रीय क्रय एकक
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
सूचना प्रणाली एवं सेवाएँ प्रभाग (आई एस एस डी)
राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र
केंद्रीय विमानन मौसम प्रभाग (सी.ए.एम.डी.)
सुरक्षा अनुभाग
कृषि मौसम प्रभाग

दैनिक उपयोग के मानक प्रपत्र

क्र.सं.

विषय

- 1. छुट्टी की अर्जी (द्विभाषी)
- छूट्टी का आवेदन पत्र एवं कार्यभार ग्रहण/ प्रस्थान रिपोर्ट (हिंदी)
- 3. साइकिल अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र (द्विभाषी)
- 4. आकस्मिक/वैकल्पिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र (हिंदी)
- 5. अंतिम वेतन पत्र (द्विभाषी)
- 6. अग्रेषण पत्र (हिंदी)
- 7. पावती (हिंदी)
- 8. स्थानांतरण के लिए निवेदन (द्विभाषी)
- 9. त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन पत्र (हिंदी)
- 10. सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम रूप से निकाली जाने वाली राशि के लिए आवेदन पत्र(द्विभाषी)
- 11. उपयोग प्रमाण पत्र (हिंदी)
- 12. सामान्य भविष्य निधि खाता से अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित कार्यालय आदेश (हिंदी और अंग्रेजी)
- 13. सामान्य भविष्य निधि खाता से अप्रतिदेय राशि की स्वीकृति से संबंधित पत्र (हिंदी और अंग्रेजी)
- 14. सामान्य भविष्य निधि खाता से अप्रतिदेय आंशिक अंतिम रूप से निकाली जाने वाली राशि की स्वीकृति से संबंधित पत्र (हिंदी और अंग्रेजी)
- 15. निविदा सूचना (द्विभाषी)
- 16. सेवा पुस्तिका का प्रेषण (द्विभाषी)
- 17. विदेश यात्रा की अनुमति हेतु प्रपत्र (द्विभाषी)
- 18. छुट्टी का स्वीकृति-ज्ञापन (द्विभाषी)

एस.आर.-। S. R.-1

छुट्टी की अर्जी का फार्म FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुपूरक नियम 216 देखिए) /(See supplementary Rule 216) टिप्पणी:- मद सं.1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित । Note: Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted. 1. प्रार्थी का नाम Name of applicant..... 2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली Leave rules appiicable 3. पद Post held विभाग, कार्यालय और अनुभाग 4. Department, Office and Section वेतन 5. Pay वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया 6. भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते । House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post. माँगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू 7. होने की तारीख/ Nature and period of leave applied for and dare from which required. रविवार और छुट्टी क दिन, यदि कोई हों, जिन्हें 8. छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं। Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave. 9. छुट्टी का कारण। Ground on which leave is applied for पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस 10. छुट्टी की किस्म तथा अवधि । Date of return from last leave, and the nature and period of that leave. मेरा विचार आगामी छुट्टी में......के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत लेने का 11. है/नहीं है/I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years

12. (क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूँगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (¡¡) /संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (¡¡¡) के लागू न होने पर

अनुमत्य न होती ।

(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F. R. 81 (b) (ii)/rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933, not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से

कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिम छुट्टी मैने ली है तो अग्रिम

12.

	छुट्टी के दौरान - जो मूल नियम 81 (ग) / के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पातो, 1	संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (घ) मिले छटटी के वेतन को वापस कर दँगा ।
	(b) I undertake to refund the leave salary draw admissible had F. R. 81 (c)/Rule 11 (d) of	n during leave not due which would not have been the Revised Leave Rules, 1933 not been applied, r resignation from service at any time until I earn
	तारीख	प्रार्थी के हस्ताक्षर
	Date	Signature of applicant
13.	नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और/ या सिफारिश	
	Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.	
		हस्ताक्षर/Signature
	तारीख/	पदनाम/Designation
	Date	
	छटटी की अनमत्यता	के बारे में प्रमाण-पत्र
	31	G ADMISSIBILITY OF LEAVE
		संबंध में महालेखाकार द्वारा)
	(BY Accountant General in	the case of gazetted officers)
14.	प्रमाणित किया जाता है कि	.सेदेने के लिए
	नियमावली के नियम	के अधीन(छुट्टी की
	किरम) अनुमत्य हैं ।	
	Certified that	(Nature of Leave)
	for	fromtoto
	is admissible under rule	(period)
	is admissible under rule	Of the
		हरताक्षर/Signature
		पदनाम/Designation
	तारीख/Date	
15.	* स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :-	
	Orders of the sanctioning authority	
		हस्ताक्षर/Signature
	des vibus saides la said i	पदनाम/Designation
तारीख	I/Date	
		THE PERSON AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

^{*} यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं इसी प्रकार का भत्ता मिलता हों ।
* If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another oost carrying a similar allowance. प्रभासमुको/MGIPCBE--S6--(C-101) -- 12 GIFS/Cal/87 -- 8-1 -88 -- 15.00.000

37 दूसरी अनुसूची प्रार्थी का नाम 1. श्री/श्रीमती/कु0 2. पदनाम अनुभाग 3. वेतन 4: आवेदित छुट्टी की किस्म और अवधि दिनांक.....से.....तक कुल......दिन की अर्जित छुट्टी / अर्ध वेतन छुट्टी/ परिवर्तित छुट्टी/ असाधारण छुट्टी । छुट्टी से पहले/बाद में जुड़ने वाले छुट्टी से पहले.... रविवार और छुट्टी के दिन यदि छुट्टी के बाद..... कोई हों। छुट्टी का कारण 7. 8. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख दिनांक.....सं.....तक और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि कुल......दिन की अर्जित छुट्टी/ अर्ध वेतन छुट्टी/ परिवर्तित छुट्टी/ असाधारण छुट्टी। मेरा विचार छुट्टी के दौरान 9. वर्ष खण्ड की रियायती छुट्टी यात्रा पर जाने का है/नहीं है। छुट्टी के दौरान पता 10. दिनांक प्राथी के हस्ताक्षर..... नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश: सिफारिश/सिफारिश नहीं की जाती है 11. कार्यभार ग्रहण / प्रस्थान रिपोर्ट

दिनांकसे	तक कल दिन की अर्जिन फरदी। अर्घ बेनन
खुट्टा/ पारवातत खुट्टा/ असाधारण छुट्टा पर रहन क पश्चात	त/ पहले मै
पूर्वाह्न/अपराह्न को अपनी कार्यभार ग्रहण/ प्रस्थान रिपोर्ट प्रस	तुत कर रहा/रही हूँ ।
	er de de meest mee weedle for de fland-flar
दिनांक.	हस्ताक्षर

साइकिल अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र APPLICATION FOR GRANT OF CYCLE ADVANCE

नाम

मौवि ए-III MET.A-111

	57/119 y Signature
स्थान/।	DesignationCertify that I have granted advance for the purchase of a bicycle during the last three years. Place : हस्ताक्षर/Signature
	पदनामप्रमाणित करता हूँ कि पि र्षों में मुझे साइकिल खरीदने के लिए कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया गया है ।
%	CERTIFICATE
	प्रमाण-पत्र
** Ind	ficate even if advance received while at other stations.
	ले किसी अन्य स्टेशन पर यदि अग्रिम प्राप्त किया हो तो उसे भी बताएँ
" Stril	ike out whichever is not applicable.
' जो ग	मद आप पर लागू न हो उसे काट दें।
	पदनास/Designation
,	हस्ताक्षर/Signature
	i/Date :
स्थान/ह	Place:
	Remarks
14.	अभ्युवित्तयां
	Reason for asking for cycle advance
13.	साइकिल अग्रिम माँगने का कारण
87	Whether granted advance previously and if so, amount and date of final repayment**
12.	राशि तथा उसके अंतिम रूप से अदायगी की तारीख**
12.	Mode of public conveyances available in the locality क्या आपने इस प्रयोजन के लिए पहले भी अग्रिम लिया था और यदि हाँ तो अग्रिम की
11.	उप क्षेत्र में किस प्रकार के सार्वजनिक वाहन उपलब्ध है।
	Nature of duty performed (whether regular office hours or shift duties on roster)
10.	ड्यूटी की प्रकृति (नियमित कार्यालय समय या रोस्टर के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी)
€.	Segicl के स्थान और घर के बाच दूरी Distance between residence and place of work
0	Place of Duty ड्यूटी के स्थान और घर के बीच दूरी
8.	कार्य करने का स्थान
**************************************	Residential Address
7.	Number of instalments in which to be recovered ਬੁਝ ਲਾ ਪੂਰਾ
6.	अग्रिम की राशि को कितनी किस्तों में वापिस करना चाहते हैं
J.	Amount of advance required
5.	Pay on date of application अग्रिम के रूप में कितनी राशि चाहते हैं
4.	Whather permanent/Quasi-parmanent/Tempory* In the Department आवेदन की तारीख को वेतन
3.	क्या आप विभाग में स्थायी/अर्घस्थायी/अस्थायी * हैं
	Designation
2.	पदनाम
	Name

सेवा मे	,	
		* /* /*
		* ",1000,100
	· Comment of the second of the	
विषयः	आकास्मिक /वैकल्पिक अवकाश के संबंध में ।	
	a state of state of the	
1.	आवेदक का नाम	
	ч	नाम
2.	छटरी का कारण	
	घुट्टी का कारण	
3.	छटटी की किया	
0.	छुट्टी की किस्म	
4.	फारती की अनुष	
	छुट्टी की अवधिसे.	तक/कुल दिन
	नामर्क गना	
	सम्पर्क पता	
	Page 4	
(6)		
	,	आवेदक के हस्ताक्षर
	8	दिनांक:-
		OR B 360 T
	प्राप्तः	
आवेदित	अवकाश	
शेष अव	नाश	
हस्ताक्षर	सहायक	

(देखिए परि	शिष्ट ख)
(See App	endix B)

फार्म 16

स्थ.आ.पु.	(त)-16
M.S.O.(Γ)-16

	ee Appendix B)		FORM 16	м.s.о.(1	Г)-16
				का अंतिम	वेवन गव
				पर रवाना हो	
				28 18 1 to 1000 y 000 s) 1 603 ye	
			proceeding on		
	उसे निम्नतिगिवन दर्गे पर		तक के लिए अदायग	ੀ ਨਹ ਟੀ ਸੁੰਦ ਵੈ ⊷	
۷.	He has been paid upto	(2) (E)	at th following rat	98 '-	
	,	Δ		दर/Rate	
	मुल वेतन		ich sydiget fo Alfatadi	•	
	Substantive Pay	·			
	स्थानापन वेतन				
	भत्ते आदि	*		-	
	Allowances etc.				
	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ब्यौरा/Particulars		दर/Rate	
3.	उसका सामान्य भविष्य निधि लेख	॥ संख्या	महालेखाकार	द्वारा रखा	जाता है ।
	His General provident Fund Acc	count No	is maintained b	Accountant General	
4.				का पद भार सौ	
	He handed over charge of the	office of	on th	9	
5	पष्त भाग पर दिए गए ह्यौरे के अ	 ानसार सरकारी कर्मचारी के	वेतन में से कटोतियाँ की जानी है	Æ.,	
	Recoveries are to be made from	n the pay of the Governme	ent servant as detailed on the reve गया है । पृष्ठभाग पर लिखे अनुसार	se.	
			tions has been made as noted on	the reverse.	/Amount
			तक रू	प्रतिमाह	
	From	to	at Rs	प्रतिमाह a month	
		~		m O nna	
	From	to	at Rs	प्रातनाह a month	
		से	तक रू	प्रतिमाह	
	From	to	at Rs	a month	
7.	वह निम्नलिखित लेने का हकदार	है :-			
	He is entitled to draw the follow	ving :-			
8.	वह				
9.	He is also entitled to ioining tin निम्नलिखित बीमा पालिसियों की	वित्त व्यवस्था वह भविष्य ।	नेधि में से करता है :-		
	He finances the Insurance poli	cies detailed below from p	rovident Fund :-		
Γ	बीमा कम्पनी का नाम	पालिसी सं.	प्रीमियम की राशि	प्रीमियम अदा करने की नियत	त तारीख
1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n 11 f 11 - 11 - 10	

बीमा कम्पनी का नाम Name of the Insurance Company	पालिसी सं. No. of Policy	प्रीमियम की राशि Amount of Premium	प्रीमियम अदा करने की नियत तारीख Due date for the date af Premium		
			postal o		
		1 2 2 4			

10. इस वर्ष के आरंभ से अब तक उनके र भूल किए गए आयकर का विवरण पृष्ठभाग पर लिखा है।

The details of the income-tax recovered from him up to the date from the beginning of the current year are noted on the

हस्ताक्षर/Signature..... पदनाम/Designation.....

तारीख/Dated.....200

टिप्पणी :-- क्रम संख्या 3 के सामने की सूचना अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा और राजपत्रित अधिकारियों के मामले में खजाना अधिकारी/स्वयं अधिकारी द्वारा भरी जानी चाहिए । इसके अलावा जब कोई सरकारी कर्मचारी एक लेखापरीक्षा परिमंडल से दूसरे

परिमंडल में स्थानांतरित किया जाए तो स्थानांतरण के बाद जो लेखा अधिकारी उसका सामान्य भविष्य निधि का लेखा रखे उसका नाम भी राजपत्रित अधिकारी के मामले में अंतिम वेतन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करते समय महालेखाकार द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि संभ व हो, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लिखा जाना चाहिए ।

Note: -- Against Serial No. 3 the information should be incorporated by the Head of the office in case of non-gazetted Government servants and by the Treasury officer/Officer himself in case of Gazetted Officer in addition when a Government servant is tramsfered from one audit circle to another, the name of the Account officer who will maintain his General provident Fund Account after transfer should also be recorded in the case of a Gazetted Officer by the Accountant General while countersigning the Last Pay Certificate and by the Head of the office in the case of non-gazetted Goernment servants, if possible.

पुष्ठभाग (REVERSE) वसुलियों का विवरण

वसूली का स्वरूप			Details of re	coveries					
Nat ure of recovery राशि रू		¥				•••••••			
Amount Rs.					Sha fa	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
To be recovered in			किस्तों में वसूल की जानी है । !nstaiments.						
			छुट्टी वेतन में से की गई कटौतियाँ						
			Deductions made fr	om leave salary					
	से	Sturse Brazilia	तक		के वास्ते रू				
From	to		on account of		क वास्त रू Rs.	••••••			
. S20	से								
From	ਖ਼ to	•••••••••••	तक on account o						
estre.			on account t		Rs.				
	से				के वास्ते रू				
From	to		on account of	of the marky	Rs.				
महीनों का नाम Name of months 1		वेतन Pay	उपदान, फीस आदि Gratuity, fee, etc.	निधियां और अन्य कटौतियां	वसूल की गई आय-कर की राशि	अभ्युक्तियां Remarks			
		2	3	Funds and other deductions 4	Amount of Income-tax recovered 5	6			
अप्रैल 20 April मई 20			2 2 3 3 2 2			Salvaria Greek sv			
May जून 20			新·维斯克。		100				
June जुलाई 20						TOTAL CONTROL OF			
July			其後的		and employed the same and	energy and			
August		ng (146)			lane				
सितम्बर 20 September अक्तूबर 20					Electric Street	Principal de la companya de la compa			
October नवम्बर 20									
November			ed in the second	i. Sy varited bis well.	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	at the later of			
दिसम्बर 20 December जनवरी 20		Training from a	To pour lead off two	endrage variation	leben unte minimischen nethta s	Date of			
January		mga (2007). 9 Mara (2011)		,					
February मार्च 20					707	Service (1977)			
March		. How Philips	i form a fetting	r frais	TO M. Sens to medical	en en en			
The secretary or		işe Saha Çiğ	ker file op 1000 sid	est pame ene ne ne	on filmatic association, in	14 15 14 15 No.			

अग्रेषण पत्र (Forwarding letter)

इस	पत्र	के साथ	। नीचे	दिए	गए	विवरण	के	अनुसार	आवश्यक	पत्र	कार्रवाई	हेतु	संलग्न	含	1

क्र.सं.	पत्र सं.	विषय		
				. 50
	N 787			
	o .			
				e
TPM CD #440P044440000				
			हस्ताक्षर अधिकारी का नामः	
x			पदनामः कार्यालयः	
संख्या-			दिनांक:	
सेवा में,				

विषय:- पावती (Acknowledgement)

इस पत्र के साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पत्रों की पावती	दी जाती है।
--	-------------

फ्र.स.	पत्र स.	विषय		
		9		V., 100
				2
		an sandina da ka		
			8	
***************************************		# U # # # # # # # # # # # # # # # # # #		**************
			हस्ताक्षर	
		*	अधिकारी का नामः	
			पदनामः कार्यालयः	
			पगवालयः	
संख्या-			दिनांक:	
			13.11.31	
सेवा में,				
Size two critical stone desired				

the straining of the st
विषय:- (sub.) : स्थानांतरण के लिए निवेदन । (Request for transfer)
संदर्भः- (Ref.) :
श्री / श्रीमती/ सुश्री————————————————————————————————————
को सूचित किया जाता है कि उनके स्थानांतरण के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है परन्तु वैकित्पव कार्मिक की व्यवस्था अथवा स्वैच्छिक कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके अनुरोध पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
तथापि उनके अनुरोध को नोट कर लिया गया है और उपयुक्त अवसर आने पर उस पर विचार किया जाएग
Shri/Smt./Missdesignation
may be informed that his / her request for transfer has been conside sympathetically but can not be agreed to since there is no substitute or volunteer.
However his/ her request has been noted and will be considered at suitable opportunity.

सहायक मौसम विज्ञानी (प्रशासन) कृते मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक

प्रादेशिक मौसम केंद्र

अशाटि सं.

दिनांकः / /200

प्र.21निरी./प्रमोद

सेवा मे		
		* *
		, ×
		is t
विषयः	त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन पत्र ।	landiga (G. C. A.
महोदय		or •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.15-सी- (9) -ई-।। (ए)/60 दिनांक 2260 4.3.60 एवं 9.1.61 के कार्यालय आदेश सं.जी.सी.851 के साथ पठित आदेश र) की त्यौहार अग्रिम प्रदा त्यौहार, जो कि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, के खर्च को वहन कर	के तहत निवेदन है कि मुझे
	उपर्युक्त अग्रिम की वसूली किस्तों में मेरे वेतन से कर ली जाए ।	i de seu mare la como de la como d La como de la como de l
	इस संबंध में मेरा प्रासंगिक विवरण निम्नलिखित है :-	8
1. 2. 3. 4.	नाम (स्पष्ट अक्षरों) में	
6.	लिया गया था । माह का नाम जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वापस की गई थी ।	
यह माँग	मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि माँगी गई त्यौहार अग्रिम की धनराशि उसी मद में ख ी जा रही है ।	र्च की जाएगी जिसके लिए
		भवदीय
स्थानः		
दिनांकः	••••••	हस्ताक्षर नाम अनुभाग
प्रमोद		दूरभाष

(छ:)	वर्ष 200 से 200 के लेखा विवरण के जारी होने के बाद ली गई अग्रिम राशि	······································
	(राशियों) जो घटानी है।	
	Less advance (S) withdrawals taken after issue	新生 70 可持續。
(सात्	,	
	Net balance at credit	<i></i>
9.	चाही गई आंशिक अंतिम निकासी की राशिः	
	Amount of Part-final withdrawal required	None Company
10.	प्रयोजन, जिसके लिए अग्रिम लिया जाना	
	है (शिक्षा/बीमारी/भवन निर्माण के कार्यों के	
	लिए कृपया अनुबंध देखें)	
	Purpose for which required (please see Annexure.	
11.	पहले लिए गए अग्रिम/निकासी का विवरण	
	(Particulars of advance/withdrawal taken	0 at 10 at
	previously.	
12.	अब निकाली जाने वाली राशि के उपयोग की अवधि :	
	Period/Time required for utilizing the amount now be	
1	Withdrawal	eing
	मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वार	त के अनुमान उसन किस सम्म कि - 0 %
इसमें	कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है ।	पर जनुसार ऊपर दिया गया विवरण सहा ह तथा मैन
	I certify that the particulars given above and in the	Apparation of the second secon
my kr	nowledge and belief and that nothing has been concea	and complete to the best of
	The same state of the same sta	ed by me.
		n (o) in perioded in quae en reading readin Insector ^{ea} - COO 1995 and Y
		(अपनेतक के कार्याक
		(आवेदक के हस्ताक्षर)
		(Signature of the Applicant)
अनुभाग	I:	part (September 1987)
Section	n	
दूरभाषः		
Telepi	none No.	A stand of advisors (BRs.) With
Date:-	,	
		A Same

PO at bothers interpreted to OP

(Mintab avig meet)

निरीक्षण/प्रमोद

उपयोग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया ज जी.सीके रूपए की ऑशिक अं	तहत भर सामान्य तिम रूप से निकाली गर्ड	भविष्य निधि खाता राशि का उपयोग केवल	Ti	\
के लिए किया गया है ।				
		खातेदार का हस्ताक्ष	ारः	
		नाम और पदनामः .		
Tall Come." Stopp Miller		अनुभागः		

दिनांकः

निरीक्षण/प्रमोद

मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

संख्या	जी.र्स	ì	(एफ)
			विभाग

दिनांकः

200

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्रीकोके संव	बंध में खर्च करने के किए उनके सामान
भविष्य निधि लेखा सं.डी/मेट/सेसंपए अग्रिम लेने के ति	नेप सामाना भविष्य निष्टि (क्टेंरीन नेसाँ)
नियम 1960 के नियम 12. (1)()	स्वामहानिदेशक (प्रणा पर्व शंक्य) (स्वाप
विज्ञान के महानिदेशक, नई दिल्ली-3 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	6
2. अग्रिम राशि माह में देय माह के वेतन से रूप	गए प्रति किस्त की सायिक किस्तों
म वसूल का जाएगा ।	
3में स्वीकृत की गई तथा उसको दी गई रूपए की अग्रिम	राशि में से रू की राशि उस
समय तक बकाया रहेगी जब तक नीचे बताए गए विवरण के अनुसार समेकित राहि	शे की वसली प्रारम्भ नहीं हो जाती । यह
राशि तथा अब स्वीकृत की गई अग्रिम राशि दोनों को मिलाकर रू. की रा	शे रूपए की किस्तों
में वसूल की जाएगी । प्रत्येक किस्त की कटौती रू. में देय माह व	के वेतन से की जाएगी ।
4. श्री / श्रीमती/सुश्री के खाते में शेष जमा राशि निम्ना	नसार है :-
(1) वर्षके लेखा विवरण के अनुसार शेष जमा राशि	3
(।) बाद में जमा की गई राशि	* H*X
(11) कॉलम (1) और (11) का योग	
(N) बाद में निकाली गई राशि, यदि कोई हो तो	
(V) स्वीकृति की तारीख को शेष राशि	
	र सहायक मौसम विज्ञानी
	कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक
सं. जी.सी नई दिल्ली	दिनांक
1,111	विभावर
प्रतिलिपिः सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु:-	
1. लेखा अधिकारी, वेतन और लेखा कार्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिव	न्त्री-२ । श्री/श्रीमती/संशी
का वर्तमान वेतनहै ।	3 1 M/ M-101/ GM
2. श्री/श्रीमती/सुश्रीको मुख्यालय केके माध्य	म से पेषित । जनका साथ विका नेपता
विवरण संलग्न है ।	न र प्राचर । उपया ता.च.ाच. का लखा
3. बिल सीट अराजपत्रित/राजपत्रित , मुख्यालय	
3-111	

() सहायक मौसम विज्ञानी कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY LODI ROAD, NEW DELHI -3

No. GC	
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTM	
DATED;	.200

OFFICE ORDER

accorde	Sanction of the under Rule 1	Dy. Director Ger 2(1)() of the C	neral of Meteo Seneral Provi	orology (A	A & S)/ Director d (CS) Rules	or General of 1960 for the	Meteorolo e grant of	gy New Delh an advance	i -3 is hereby of Rs
Rupees			on	ly) to Sh	ri/Smt./Miss.			from	his/her GPF
Account	10.000				eņable	him/her	to	defray	expenses
									fg ingels
2. the Sala	The advance very for the month	will be recovered	in Pay	month able in	nly instalment	s of Rs		each comr	nencing from
him/her amount	is/will be outst together with t	anding till the co he advance now the commencing fr	mmencement sanctioned a	t of the r ggregatin	ecovery of the	e consolidatewill be	ed amount recovered	as specified	below. This
	· 数人为证明。1940年	Control of the second	588 (BY 10 507)						
4.	The balance a	t the credit of Shr	i/Smt./Miss				detailed be	elow:	
i) ii)	Balance as pe Sunsequent d	er account slip for eposits	the year						
iii) iv) v)) and (II) vithdrawls, if any n date of sanction			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		i grad t Gradial a Track to		
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
)	
							ι Assistant M	leteorologist	- 11
10						For Di	rector Gen	eral of Meteo	rology
No. GC						in the Car			
	Copy for infor	mation and neces	sary action to	0:-					
1.	The Accounts Miss	Office. Pay & A	ccounts Office	e. IMD, L	odi Road, Ne	w Delhi. The	present P	ay of Shri/Sr	nt./
2.	Shri/Smt./Mis enclosed.	S		thro	ough	al	t (HQ). His	/Her GPF Ad	count Slip is
3.	Bill Seat (Non	. Gazetted/Gazet	ted) at HQ					· .	

(R. C. Bansal)

Assistant Meteorologist

For Director General of Meteorology

मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी वेतन और लेखा कार्यालय भारत मौसम विज्ञान विभाग लोदी रोड, नई दिल्ली-3

विषय:- श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा सा.भ.नि. लेखा सं.डी/मेट/	से राशि निकालने के संबंध में ।
महोदय,	ं प्राप्त इताया भी भी तामा क्या है। इस
में, श्री/श्रीमती/सुश्री	(1) के अधीन उनके सा.भ.नि. लेखा संख्य स्वीकृति प्रदान करता हूँ । गान्य भविष्य निधि लेखा में जमा/अंशदान की राशि है । 10 वर्षों के अंदर सेवानिवृत हो जाएँगे।जाएँगी।उस
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री	गृह निर्माण के उद्देश्यों हेतु अग्रिमों की स्वीकृति के (ख) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित की गई
5. श्री/श्रीमता/सुश्रीके खाते में उस तारीख को शेष ज () वर्षके लेखा विवरण के अनुसार शेष जमा राशि (।) बाद में जमा की गई राशि	ामा राशि निम्नानुसार है :-
(II) कॉलम (I) और (II) का योग (IV) बाद में निकाली गई राशि, यदि कोई हो तो (V) स्वीकृति की तारीख को शेष राशि	No. 375
श्री/श्रीमती/सुश्रीको वर्ष को जारी किए गए की समसंख्यक कार्यालय स्वीकृति के अनुसार रू व जाने वाली राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।	लेखा विवरण के पश्चात् इस कार्यालय के दिनांक ही राशि के लिए आंशिक अंतिम रूप से निकाली
12 m - 1 m -	
	् सहायक मौसम विज्ञानी
सं. जी.सी नई दिल्ली 1. श्री/श्रीमती/सुश्रीकोमाध्यम से उ सूचित किया जाता है कि इस राशि की निकासी की तारीख से तीन महीनों का प्रमाण-पत्र जमा करवाएँ ।	कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक दिनांक उनके दिनांकके आवेदन के संदर्भ में के अंदर इस कार्यालय को राशि के सही उपयोग
2. बिल सीट अराजपत्रित/राजपत्रित , मुख्यालय	

OFFICE OF THE DIRECTOR

GENERAL OF METEOROLOGY LODI ROAD, NEW DELHI -3

INDIA	METEOROLOGICAL	DEPA	RTMENT
	DATED:		

То

The pay & Accounts Officer, Pay & Account Office, IMD, New Delhi-3

Sub:-	Withdrawal from GPF A/C No. D/Met/	by Shri/Smt./Miss	
Sir,		each Arma	
Rs (1) of t	I am to convey the sanction of the Director Gene he GPF (CS) rules 1960 by Shri/Smt./Miss t No to enable him/her to meet expense	under Rule 15(1)	read with Rule 16 from his/her GPF
2.	The amount of withdrawal does not exceed	of 90% of the amount	at the gradit/subacription of h
3. superar	Certified that Shri/Smt./Miss. nnuation / has completed fifteen years of his Governr	is within a	10 years of his retirement or
4. sources to time purpose	It is certified that the total amount drawn, included by Shri/Smt./Missunder Rules 2(a) & 3 (b) of th scheme of the Ministry.	door not avocad the	madiana and Hamiltonia and the LC
5. ¡) ¡¡)	The balance at the credit of by Shri/Smt./Missas per account slip for the yearSubsequent deposits:		as on date is detailed below:
iii) iv) V)	Total of cols. (i & II) Subsequent withdrawals, if any Balance as on date of sanction Col. (iii - iv)		
amount year 200	Shri/Smt./Misswa Rsvide this office sanction of eve 0-200.	as last sanctioned a part final en No after the	withdrawal by this office for an
			r standar ta ser den den
		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	() () () () () () () () () ()	ASSISTANT	METEOROLOGIST (P)
	Supplied at Automorphism	FOR DIRECTOR GEI	NERAL OF METEOROLOGY
	अभीक्षम के नावकी भागीत है।	Dated : New	Delhi-3, the
	iC	G -161 - 451	
1.			
applicati	Shri/Smt./MissHe/she is advistally three month from the drawal of money.	ed to submit a certificate. of p	at HQ, w.r.t his/her roper utilization of amount to this
2.	Bill Seat (Non-Gaz/(Gaz) at DGM New Delhi.	The same state	erajak ser ser sek mah isi

मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

संख्या जी.सी.....(एफ) भारत मौसम विज्ञान विभाग दिनांकः 200

कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

सेवा में,

पृ.15निरी./प्रमोद

वेतन और लेखा अधिकारी वेतन और लेखा कार्यालय भारत मौसम विज्ञान विभाग लोदी रोड, नई दिल्ली-3

विषय:- श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा सा.भ.नि. लेखा सं.डी/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
महोदय,	at normali sell sq. mallamas esti vervena este si
में, श्री/श्रीमती/सुश्री को	अधीन उनके सा.भ.नि. लेखा संख्या डी/मेटसे करता हूँ ।
2. निकाली जाने वाली राशि श्री/श्रीमती/सुश्री से 90/75 प्रतिशत से अधिक नहीं है । उनका मूल वेतन	
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री तारीख को वे सरकारी सेवा के पंद्रह वर्ष पूरे कर लेंगे ।	
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री	राशि, गृह निर्माण के उद्देश्यों हेतु अग्रिमों की स्वीकृति के
अधिक नहीं है ।	ealth building with short our is constant out.
5. श्री/श्रीमती/सुश्रीकी उस तारीख को शेष ज	मा राशि निम्नाानुसार है :-
(1) वर्षके लेखा विवरण के अनुसार शेष जमा राशि	
(॥) बाद में जमा की गई राशि	
(॥) कॉलम () और (॥) का योग	
(N) बाद में निकाली गई राशि, यदि कोई हो तो	grade production of the control of t
(V) स्वीकृति की तारीख को शेष राशि	
6. श्री/श्रीमती/सुश्रीको वर्ष को जारी कि की समसंख्यक कार्यालय स्वीकृति के अनुसार	
जाने वाली राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।	
	(
ANGOROUS TO THE ART PROGRAMMENT AND ROTHER AND A	सहायक मौसम विज्ञानी
	कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक
सं. जी.सी नई दिल्ली	. दिनांक
1. श्री/श्रीमती/सुश्रीकोके म सूचित किया जाता है कि इस राशि की निकासी की तारीख से तीन	
का प्रमाण-पत्र जमा करवाएँ ।	warron to less shall much distant worth strate some
2. बिल सीट अराजपत्रित/राजपत्रित , मुख्यालय	Ziedwakien de Californius 20a Kewedani
	सहायक मौसम विज्ञानी

OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF METEOROLOGY
LODI ROAD, NEW DELHI -3

	No. GC
INDIA	METEOROLOGICAL DEPARTMENT
	DATED;

То

The pay & Accounts Officer, Pay & Account Office, IMD. Lodi Road. New Delhi-3

Sub:-	Withdrawal GPF A/C No. D/Met/by Shri/Smt./Miss
Sir,	\$276125.770 : welle?
(1) (1)	I am to convey the sanction of the Director General of Meteorology, New Delhi to a Non-refundable withdrawal of
2. Shri/Sr	The amount of withdrawal does not exceed of 90/75% of the amount at the credit/subscription of mt./Missin the General provident Fund Account. His Basic pay
15 115	
3. supera	Certified that Shri/Smt./Missis within 10 years of his retirement on nnuation / has completed fifteen years of his Government service on Date.
4. source to time purpos	It is certified that the total amount drawn, including the withdrawal from the GPF Account, from all Government s by Shri/Smt./Miss
5.	The balance at the credit of Shri/Smt./Missas on date is detailed below:
i) ii)	as per account slip for the yearSubsequent deposit:
The state of	Toolson and the second
111)	Total of cols. (i) and (ii)
(v) (v)	Subsequent withdrawals, if any Balance as on date of sanction Col. (iii - iv)
	nue resperend" Europal programa e a same de Licopa Vinitados esi?
6. amoun 200 - 2	Shri/Smt./Misswas last sanctioned a part final withdrawal by this office for an t Rsvide this office sanction of even No
19MF S	The feature will be unjuried by to 3.05 prominent to a sent the avent of the tensors'
	ASSISTANT METEOROLOGIST - II FOR DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY Dated: New Delhi-3, the200
No.	GC - With the Care (F) conductor and the Care (GC)
110.	GO(F)
1.	Shriat HQ. w.r.t his/her application. Dated
month	He/She is advised to submit a certificate of proper utilization of amount to this office within three from of drawal of money.
2.	Bill Seat (Non-Gaz / Gaz) at HQ.

ASSISTANT METEOROLOGIST -II
FOR DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY

मेट - ए - 210/Met-A-210

भारत सरकार
भारत मौसम विज्ञान विभाग
मौसम विज्ञान के महानिदेशक
का कार्यालय
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

Govt. of India
India Meteorological Department
OFFICE OF The DIRECTOR GENERAL OF
METEOROLOGY,
Lodi Road, New Delhi-110003

Telegram: DIRGENMET NEW DELHI.
Telex: 011-4611792
Telephone: 618241 (PABX)

निविदा सूचना/TENDER NOTICE

सं.	paramental or or or marin. The to		दिनांकः
No.	divari, ongovas sama i makang mataloga i		Dated :
	median to to a might be made a		
मैसर्स	M/s	Unit parte representation to the co-	
		na dana asi pesika atau membahkan	
	such 30 somewhat is the presso	r & establish yang an entra emprise	
	2 . 2	1010141	
	ानम्नालाखत सामान का आपूात के लि आमंत्रण दिया जाता है ।	ए इसके पीछे दी गई शती के अनुसा	र सामान की दरें मुहरबंद भेजने के लिए
	Sealed quotations are invited for the given overleaf.	ne supply of the undermentioned	stores as per terms and conditions
2.	सामान की दरें मुहरबंद लिफाफों में र मौसम विज्ञान के महानिदेशक, भारत मौ		सामान के लिए दरें" लिखकर देल्ली-110003 के नाम भेजी जाए ।
	The quotation should be sent in a se		
	addressed to Dir India Meteorological Department, Lo	ector General of Meterology, odi Road, New Delhi-110003	Saverna de la Servicio del Servicio del Servicio de la Servicio del Servicio della Servicio dell
3.	निविदाएं दिनांक भेजने वालों के प्रतिनिधि निविदा खोलने		उसके बाद उन्हें खोला जाएगा । निविदा
	The tenders will be received up to Representatives of the tenders are	to 3.00 p.m.onwelcome to attend the opening of	and will be opened thereaffer. the tenders.
	OJOHOBIEM FO JARBIADO BOTO ENTO	1990	* 0
सं. 🦽		सामान का विवरण	माँगी गई मात्रा
S.No.		Particulars of stores	Quantity required
		to agree	a
	allocation of a sound to this effice with		

पृ.19निरी./प्रमोद

		in the few to be a first of		
विषय:- श्री / श्रीमती / सुश्री			की सेवा-पुस्तिका	1
श्री/श्रीमती/सृश्री				ने
से स्था	नांतरण के फलस्वरूप आप	के कार्यालय में	दिनांकको कार्यः	भार
AT A STATE OF THE			गवली इस पत्र के साथ संलग्न है ।	
प्रदर्भ पर रिपा ए ७ प्रिय रिपा	Become Court tout in the	41 9414(1-1(1-4.4	नियम इस नम पर साम सलान है।	
काम कारी मनी के	1			
कृपया इसकी पावती दें	I			
			k II) and personnel file	
Shri/Smt./Miss		Who has	joined your office on da	ted
on trans				••
Kindly acknowledge the rece	apt.			
	A 745			
			Maria de la composición del composición de la co	
				
			कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक	
			for D.D.G.M.	
प्रादेशिक मौसम केंद्र	अशाटि सं.		दिनांकः / /200	
			7 7200	

पृ.20निरी./प्रमोद

प्रपत्र

PROFARMA

(का.ज्ञा.सं.11013/7/2004-स्था.(ए) दिनांक 5.10.2004 देखें) See O.M. No. 11013/7/2004 Esstt (A)dated 5th October 2004)

1	नाम	(Name)	
	11.1	liamine	

- 2 पदनाम (Designation):
- 3 वेतन (Pay):
- 4 मंत्रालय/ विभाग (केंद्रीय/ राज्य/उपक्रम का उल्लेख करें) : Ministry /Department (specify Central/ Sate/ PSU) :
- 5 पासपोर्ट संख्या (Passport No.)
- 6 गैर सरकारी विदेश यात्रा का विवरण, जहाँ की यात्रा की जानी है :

(Details of Private foreign travel to be undertaken):

विदेश में रहने की अवधि Period of abroad		भ्रमण किए जाने वाले उद्देश्य देशों के नाम Purpose Name of countries to be visited		प्राक्कलित व्यय (भ्रंमण,वीजा, विविध, आदि) Estimated	धन का स्रोत Source of fund	अभियुक्ति Remarks
से from	तक To			expenditure (Travel,vise, misc,etc)		
5085	A Fig.		24 E 1912			100 m

(7) इसके पहले विगत एक वर्ष के दौरान किए गए गैर सरकारी विदेश यात्रा का विवरण, यदि हो तो :-(मद सं.6 में दिए गए विवरण के अनुसार)

Details of previous private foreign travel, if any: undertaken during the last one year (as under item No. 6)

हस्ताक्षर (Signature) :

नाम (Name) :

दिनांक (Date) :

पदनाम Designation) :

पृ.23निरी./प्रमोद

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA भारत मौसम विज्ञान विभाग INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT ज्ञापन/MEMORANDUM

मेट. ए-50/Met.A-50

				सं./No	
				दिनांक/Dated the	200
विषय : छुट्	टी की स्वीकृति/Suk	: Grant of the lea	ive to		
आवेदन पत्र दिनांक छुट्टी स्वीकृत की ज	गाती है ।	lication (s) dated	e e	किया जाता है कि	
that he/she is gran	ted leave as follow	vs:			
छुट्टी की किस्म	कब से	कब तक	दिनों की संख्या	दिनांक जोड़ने	की अनुमति
Nature of leave	from	to	Number ot days	Dates allowed	
·				पहले	बाद में
				prefix	Suffix
es				==	
7					
		1		*	
		a diment		में काम प	वर रखा जाएगा ।
उन्ह छुट्टा	समाप्त हान क बा	द समवतःा	1		1, , , , , , , , , , , ,
उन्ह अपना प्रस्थान	और कार्यग्रहण की	ारपाट दना चाहिए	1 ,		on the
He/She is	/was likely to rema	ain posted at	ioining reports		
expiry of leave. H	e/She should subr	illi departure and	Johnnig reports.		
सेवा में/To	ian in				

श्री/श्रीमती/कु. Shri/Smt./Miss

राजभाषा नीति-सिंहावलोकन

प्रकाशन

हिंदी अनुभाग भारत मौसम विज्ञान विभाग लोदी रोड, नई दिल्ली-110003